भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3458

दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

निर्यात संवर्धन मंच

3458. श्री जयंत सिन्हा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार निर्यात संवर्धन मंच के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में प्रतिशत में कितनी मात्रा में फल तथा सब्जियों का उत्पादन तथा निर्यात किया गया; और

(ग) भारत के कुल उत्पादन तथा निर्यात के प्रतिशत के रूप में झारखंड द्वारा कितनी प्रतिशत फल तथा सब्जियों का उत्पादन तथा निर्यात किया गया?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) : निर्यात संवर्धन गतिविधियों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हितधारकों की भागीदारी के मुद्दे का समाधान करने के लिए वाणिज्य विभाग ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के तत्वावधान में विभिन्न उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन मंच (ईपीएफ) स्थापित किए हैं। ईपीएफ में व्यापार/उद्योग, मंत्रालयों/विभागों, विनियामक एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों राज्य सरकारों आदि का प्रतिनिधित्व है। कुल मिलाकर क्रमश: चावल, केला, अंगूर, आम, प्याज, डेरी उत्पाद, पोषक अनाज, अनार तथा पुष्पोत्पाद के लिए 9 ईपीएफ का गठन किया गया है।

एसपीएस/टीबीटी विषयों, बाजार अभिगम विषयों, निर्यात संवर्धन तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों आदि जैसे निर्यात को प्रभावित करने वाले विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए ईपीएफ की नियमित रूप से बैठक आयोजित की जाती हैं। ईपीएफ द्वारा की गई सिफारिशों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

(ख) : विगत पांच वर्षों में उत्पादित एवं निर्याततित फलों एवं सब्जियों की धनराशि का जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में ब्यौरा निम्नवत है :-

करोड़ रुपये में

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी*	1,37,71,874	1,53,91,669	1,70,90,642	1,88,86,957 (द्वितीय संशोधित अनुमान)	2,03,51,013 (प्रथम संशोधित अनुमान)
वर्तमान मूल्यों पर फलों तथा	4,81,405	5,10,407	5,87,158	5,87,864	उपलब्ध नहीं

सब्जियों के उत्पादन का मूल्य*					
फलों एवं सब्जियों का निर्यात**	14,893	16,452	16,203	17,754	16,917
जीडीपी की प्रतिशतता (%) के रूप में फलों एवं सब्जियों का उत्पादन	3.50	3.32	3.44	3.11	उपलब्ध नहीं
जीडीपी की प्रतिशतता (%) के रूप में फलों एवं सब्जियों का निर्यात	0.11	0.11	0.09	0.09	0.11

* स्रोत : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय/राष्ट्रीय एकाउंट्स स्टेटिस्टिक्स 2020

** स्रोत : डीजीसीआई एवं एस

(ग) : भारत द्वारा फलों एवं सब्जियों के कुल उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में झारखंड द्वारा उत्पादित फलों एवं सब्जियों के प्रतिशत का ब्यौरा निम्नलिखित है :

मात्रा 000 मीट्रिक टन

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
भारत का कुल उत्पादन	259246.97	271090.45	281751.79	281136.27	290935.22
झारखंड द्वारा उत्पादन	4335.01	4417.97	4556.89	4626.69	4748.51
भारत के कुल उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में झारखंड का उत्पादन (%)	1.67	1.63	1.62	1.65	1.63

स्रोत : कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

भारत द्वारा फलों एवं सब्जियों की कुल निर्यात की प्रतिशतता के रूप में झारखंड द्वारा निर्यातित फलों एवं सब्जियों के प्रतिशत का ब्यौरा निम्नवत है :

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
भारत का कुल निर्यात	2268.81	2454.72	2513.33	2540.90	2380.48
झारखंड द्वारा निर्यात	-	-	0.18	0.19	0.34
भारत के कुल निर्यात की प्रतिशतता के रूप में झारखंड का निर्यात (%)	-	-	0.007	0.007	0.014

स्रोत: डीजीसीआई एवं एस

[नोट : डीजीसीआई एवं एस द्वारा रखे जा रहे राज्य-वार आंकड़ों की कुछ सीमाएं है क्योंकि यह निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर आधारित है तथा डीजीसीआई एवं एस के स्तर पर कोई प्रमाणीकरण नहीं किया जाता है]

*****

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3493

दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

राष्ट्रीय पैकेजिंग पहल

3493. कुमारी गोड्डेति माधवी:
श्रीमती चिंता अनुराधा:
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:
श्री पी. वी. मिथुन रेड्डी:
श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण:
श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर:
डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:
श्री श्रीधर कोटागिरी:
श्री तालारी रंगैय्या:
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय संभार नीति के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय पैकेजिंग पहल शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह नीति संभार लागत को कम करेगी, उत्पाद की संरक्षा सुनिश्चित करेगी और संवहनीयता को प्रोत्साहन प्रदान करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ) : जी, नहीं। तथापि, यह देखते हुए कि लॉजिस्टिक्स में पैकेजिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस विषय को हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के मसौदे में कवर किया गया है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 3496

<u>दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

आवश्यक वस्तुओं का आयात

3496 श्री के. नवासखनीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2020 हेतु आवश्यक वस्तुओं के आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई हैः

(ख) मार्च–दिसम्बर, 2020 महीनों में भारत से निर्यात में कितने प्रतिशत गिरावट हुई है; और

(ग) मार्च–दिसम्बर, 2020 के महीनों में सम्पूर्ण आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): जनवरी–दिसम्बर 2020 के दौरान पिछले वर्ष की तदनुरुपी अवधि की तुलना में भारत के आवश्यक वस्तुओं के आयात में 29.0 प्रतिशत की गिरावट हुई है।

(ख): मार्च–दिसम्बर 2020 के दौरान पिछले वर्ष की तदनुरुपी अवधि की तुलना में भारत के व्यापारिक वस्तुओं के कुल निर्यात में 17.8 प्रतिशत की गिरावट हुई है।

(ग): मार्च–दिसम्बर 2020 के दौरान पिछले वर्ष की तदनुरुपी अवधि की तुलना में भारत के व्यापारिक वस्तुओं के कुल आयात में 27.9 प्रतिशत की गिरावट हुई है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 3501

दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

3501 श्री अरविंद सावंतः

श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री धनुष एम. कुमारः
श्री सी.एन. अन्नादुरईः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निर्यातकों की समस्याओं का समाधान करने हेतु एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने निर्यातकों की विशिष्ट शिकायतों के त्वरित निवारण की निगरानी के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जीआरसी द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाए गए शिकायतों का ब्यौरा क्या है और निर्यातकों द्वारा दर्ज शिकायतों की प्रकृति क्या है;

(घ) क्या सरकार को देश में निर्यातकों द्वारा अपने माल को निर्यात करने में होने वाली लंबी प्रतीक्षा अवधि के बारे में पता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निर्यातकों का समर्थन करके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): प्रक्रिया पुस्तक, 2015–20 के पैरा 9.08 के तहत, व्यापार और उद्योग की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एक संस्थागत तंत्र मौजूद है। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज प्रोत्साहन प्राप्त करने, आयात–निर्यात लेनदेन करने और नीति/प्रक्रियाओं की व्याख्या से संबंधित कार्य में निर्यातकों के समक्ष उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं को हल करने का कार्य करता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के सभी क्षेत्रीय प्राधिकारियों ने शिकायत निवारण के लिए प्रतिदिन एक घंटे का समय रखा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त एवं निपटाए गए शिकायतों का विवरण निम्नानुसार हैः

तंत्र	2017-18		2018-19		2019-20	
	प्राप्त किए गए	निपटान किए गए	प्राप्त किए गए	निपटान किए गए	प्राप्त किए गए	निपटान किए गए
हेल्प डेस्क	6266	4966	6590	5288	12104	10882
संपर्क@डीजीएफटी	30076	25453	52005	51641	48068	45337
सीपीजीआरएएमएस	1107	1070	751	707	736	663

(घ) से (ङ.): सरकार ने विभिन्न स्कीमों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कई कदम उठाए हैंः–

i. शुल्क छूट/रियायत स्कीम;
ii. निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम;
iii. ब्याज समकरण स्कीम और ड्यूटी ड्रॉबैंक निर्यातों/मान्य निर्यातों पर अंतिम उत्पाद शुल्क का रिफंड;
iv. व्यापार को सुविधाजनक बनाने और एफटीए उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम के प्रमाणपत्र हेतु कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म;
v. उत्पादों को चिन्हित करके और स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करके निर्यात हब के रुप में जिलों को बढ़ावा देना;
vi. कृषि निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक व्यापक कृषि निर्यात नीति कार्यान्वयन के तहत है;
vii. भारत के व्यापार पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में विदेश स्थित भारतीय मिशनों की भूमिका को बढ़ाना;
viii. विभिन्न बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र विशेषतः एमएसएमई के लिए राहत उपायों के माध्यम से घरेलू उद्योग को सहायता प्रदान करने हेतु कोविड–19 महामारी के आलोक में घोषित पैकेज;
ix. निर्यातकों के समक्ष उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए 2017 में मौजूदा विदेश व्यापार नीति (2015–20) की मध्यावधि समीक्षा की गई थी।
x. कोविड–19 महामारी की स्थिति के कारण विदेश व्यापार नीति (2015–20) को एक वर्ष अर्थात् दिनांक 31.03.2021 तक बढ़ा दिया गया है।
xi. निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट से संबंधित नई स्कीम शुरु की गई है।

निर्यात बंधु स्कीम के माध्यम से भी उभरते हुए निर्यातकों को सहायता प्रदान करने हेतु सरकारी एजेंसियों और उद्योग संघों के सहयोग से कई जागरुकता/आउटरीच कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित किए जाते हैं।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3510**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

कॉफी उत्पादन

3510. श्री पी. रविन्द्रनाथ:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कॉफी के कुल उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान कॉफी की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश, विशेषकर तमिलनाडु में कॉफी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कॉफी बोर्ड द्वारा चलाई जा रही विकास गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) देश में विशेषकर ऑर्गेनिक कॉफी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 'एकीकृत कॉफी विकास परियोजना' योजना के कार्यान्वयन की राज्य-वार स्थिति क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) : वितीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 में कॉफी उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

(मात्रा मीट्रिक टन में)

राज्य/क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20
कर्नाटक	222300	219550	203445
केरल	65735	70435	65925
तमिलनाडु	17440	17765	17400
आंध्र प्रदेश	9,600	10900	10405
ओडिशा	740	650	670
पूर्वोत्तर क्षेत्र	185	200	155
कुल	**316000**	**319500**	**298000**

स्रोत : कॉफी बोर्ड

विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई कॉफी की कुल मात्रा निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

वर्ष	मात्रा (मीट्रिक टन में)
2017-18	391796
2018-19	353576
2019-20	326554

स्रोत : कॉफी बोर्ड

(ख) : कॉफी बोर्ड कॉफी के उत्पादन, उत्पादकता तथा गुणवत्ता में संपूर्ण सुधार के लिए एकीकृत कॉफी विकास परियोजना (आईसीडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत तमिलनाडु राज्य सहित देश में अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, एस्टेटों के यंत्रीकरण को सहायता, कॉफी क्षेत्र विकास, बाजार विकास, मूल्यवर्धन को सहायता आदि जैसे कई हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। विगत तीन वर्षों अर्थात 2017-18 से 2019-20 के दौरान कॉफी बोर्ड ने इस स्कीम के विभिन्न घटकों के लिए 107.98 करोड़ रुपये की धनराशि की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया है।

(ग) : सरकार ने देश में जैविक कॉफी उत्पादन का संवर्धन एवं विकास करने को यथोचित प्राथमिकता दी है। भारत सरकार, कॉफी बोर्ड के माध्यम से, अन्य बातों के अलावा, पारंपरिक कॉफी उपज क्षेत्रों में लागत की 50 प्रतिशत की दर से तथा गैर-पारंपरिक कॉफी उपज क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में लागत की 75 प्रतिशत की दर से कॉफी एस्टेट का इको/ऑर्गेनिक प्रमाणन के लिए आईसीडीपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। विगत तीन वर्षों (2017-18 से 2019-20) में जैविक कॉफी उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

मात्रा (मीट्रिक टन में)

राज्य/क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20
आंध्र प्रदेश	72.401	329.653	396.505
कर्नाटक	2049.712	2802.382	4456.964
केरल	5973.866	11133.868	14850.223
तमिलनाडु	253.154	297.633	445.529
कुल	**8349.133**	**14563.536**	**20149.221**

स्रोत : कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3512

<u>दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

आपूर्ति श्रृंखला पर कोरोना वायरस का प्रभाव

3512. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या कोरोना वायरस के कारण चीन से कच्चे माल की आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा कई भारतीय उद्योगों विशेष रूप से भेषज क्षेत्र पर पड़े इसके प्रभाव से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जिनमें मांग और आपूर्ति में असंतुलन के परिणामस्वरूप समस्त उद्योगों में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा देशभर में मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने एवं वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए क्या ऐहतियाती उपाय किए गए हैं?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग) : चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप से आरंभ में घटकों, मध्यवर्तियों तथा कच्चे मालों के आयात के लिए चीन पर निर्भर भारतीय उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव पड़ा। तत्पश्चात्, वर्ष के दौरान चीन का उत्पादन पुनः आरंभ हो गया। तथापि, महामारी के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को लगे झटके के कारण, कई देश आपूर्ति स्रोतों के अधिक संकेद्रण को कम करने के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन लाना चाह रहे हैं।

सरकार ने निर्यात संवर्धन परिषद तथा व्यापार निकायों के साथ उनकी आपूर्ति श्रृंखला में संभावित व्यवधान का समाधान करने तथा विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के पास उपलब्ध इन्वेंटरी प्राप्त करने तथा उसका परिवहन करने के लिए बातचीत की है तथा तदनुसार, विदेश में हमारे मिशन के साथ उन्हें संपर्क में रखा है। मिशनों ने घरेलू उद्योग के आपूर्ति बेस का विस्तार करने के लिए व्यवसाय से व्यवसाय की कई वर्चुअल बैठकों को सुगम बनाया।

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों तथा मोबाइल आदि के अलावा महत्वपूर्ण आरंभिक सामग्री/ड्रग मध्यवर्ती, सक्रिय भेषज संघटक जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों में घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (पीएसआई) जैसी स्कीमें भी शुरू की है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3513

दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

फलों का निर्यात

3513. श्रीमती सुमलता अम्बरीश :
श्री नलीन कुमार कटीलः
श्री डी.के. सुरेशः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के दौरान देश से निर्यात किए गए फलों और इनके उत्पादों की कुल मात्रा और मूल्य फल–वार कितना है;

(ख) क्या सरकार देश से फलों के निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार गांवों से अंतिम उपभोक्ता तक शीघ्रनाशी कृषि उत्पादों को पहुंचाने के लिए प्रभावी संभार तंत्र हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान भारत के शीर्ष 20 फलों और उनके उत्पादों के निर्यात की मात्रा और मूल्य का विवरण **अनुलग्नक–I** पर दिया गया है।

(ख): फलों के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से, उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं:

1. कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए एक व्यापक "कृषि निर्यात नीति" कार्यान्वित की जा रही है।
2. घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए और निर्यात के उद्देश्य से भी फलों की फसलों सहित बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन।
3. निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम और परिवहन एवं विपणन सहायता आदि के माध्यम से कृषि उत्पादों के निर्यात सहित, निर्यात को बढ़ावा देना।
4. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की निर्यात संवर्धन स्कीम अर्थात, अवसंरचना का विकास, नए बाजार खोलना बागवानी पैक हाउस की मान्यता हेतु स्कीम, हॉर्टिनेट ट्रेसेबिलिटी प्रणाली का विकास, आउटरीच कार्यक्रम, निर्यात संवर्धन फोरम का गठन, क्रेता विक्रेता बैठक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी, पैकेजिंग विकास, गुणवत्ता विकास कार्यक्रम, व्यापार करने में सुगमता, एपीडा की वित्तीय सहायता स्कीम के तहत फलों के निर्यातकों को सहायता प्रदान करना।

(ग): सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएम केएसवाई) के तहत स्कीम कार्यान्वित की है जो लॉजिस्टिक्स अर्थात इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और मूल्य वर्धन अवसंरचना और ऑपरेशन ग्रीन्स को सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के तहत, सरकार संयत्र और मशीनरी और परिवहन अवसंरचना सहित भंडारण अवसंरचना के लिए तकनीकी सिविल कार्य की कुल लागत का सामान्य क्षेत्रों के लिए 35 प्रतिशत की दर से और उत्तर पूर्व राज्यों, हिमालयी राज्यों, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) क्षेत्रों और द्वीपों के लिए 50 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अल्पकालिक मूल्य स्थिरीकरण संघटक के तहत, अधिशेष उत्पादन क्षेत्र से प्रमुख उपभोग केन्द्रों तक परिवहन और अधिसूचित बागवानी फसलों के भंडारण के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। खेतों/बगीचों से निर्यात पत्तन तक शीघ्रनाशी उत्पादों को संभालने के लिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), खेत से निर्यात पत्तन तक शीघ्रनाशी कृषि उत्पाद के प्रभावी लॉजिस्टिक्स हेतु, रिफर वैन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एपीडा के सदस्य अन्य संघटकों जैसे बागवानी फसलों एकीकृत पैक हाऊस, प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना आदि के लिए मध्यम अवधि के व्यय ढांचे हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

अनुलग्नक–I

दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3513 के भाग (क) के उत्तर हेतु संदर्भित विवरण

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान भारत के शीर्ष 20 फलों और इसके उत्पादों की मात्रा और मूल्य

(मात्रा टन में और मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में)

क्रम सं.	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	2017–18		2018–19		2019–20		2020–21 (अप्रैल से दिसम्बर (अंनतिम)	
			मात्रा	मुल्य	मात्रा	मुल्य	मात्रा	मुल्य	मात्रा	मुल्य
1	20011000	एसिटिक एसिड द्वारा तैयार/परिरक्षित ककड़ी/खीरे	131011	116	123005	129	112591	112	85460	94
2	20079910	आम के जैम्स, जेली मारमलैड्स आदि	121131	123	146530	129	145226	136	76717	83
3	08045040	आम का गूदा	110924	105	105873	94	85726	82	77649	76
4	08039010	केला ताजा	102522	54	134633	59	195750	93	143010	63
5	20081100	मूंगफली तैयार/सरंक्षित	28615	43	27773	43	40329	70	32955	60
6	20019000	सिरका/एसिटिक एसिड द्वारा तैयार/संरक्षित पौधें के अन्य खाद्य भाग	42972	55	42549	59	47088	63	34817	53
7	08061000	अंगूर ताजा	205039	304	253619	335	196377	303	38227	50
8	08109010	अनार ताजा	52392	86	69537	99	85430	99	48506	49
9	08051000	संतरे ताजा या सुखे	37049	15	84447	35	100383	37	94349	36
10	08045020	आम ताजा	49671	59	47428	60	49659	57	17670	28
11	08119090	अन्य फल और नट्स चाहे पके हुए हो या न हो, शीतित चीनी रहित	29400	35	33585	40	33182	40	16363	23
12	08062010	किशमिश	25260	37	18926	38	24670	38	19422	23
13	20089999	अन्य फल तैयार/संरक्षित	27086	28	25119	24	26480	28	20632	23
14	08011910	शुष्क और गुठली को छोड़कर नारियर ताजा	38648	30	34753	26	29043	23	21337	17
15	08081000	सेब ताजा	14781	7	23156	11	21881	11	30390	14
16	20081910	काजू गिरी, भुना और/या नमकीन	2872	28	1480	15	2128	21	1414	13
17	20081940	अन्य भुने हुए और तले हुए सब्जी उत्पाद	12029	20	17306	19	7363	14	5735	13
18	08011920	नारियल, सुखे, शुष्क और गुठली को छोड़कर	12934	24	16788	29	10504	17	6737	12
19	20079990	अन्य फलों के जैम, जेली, मार्मलेड्स आदि	15712	18	15927	16	13955	17	7554	11
20	20081930	अन्य नट्स अन्यथा तैयार/परिरक्षित	7127	18	5046	15	1181	4	4043	9
उपर्युक्त निर्यात का कुल			**1067175**	**1206**	**1227480**	**1276**	**1228945**	**1266**	**782987**	**748**
प्रतिशत हिस्सा			**82.9**	**85.6**	**86.6**	**88.9**	**87.5**	**89.3**	**86.8**	**87.3**
भारत के फलों और इसके उत्पादों का कुल निर्यात			**1287304**	**1409**	**1417660**	**1435**	**1403791**	**1417**	**901883**	**857**

स्रोतः डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता (पीः अनंतिम)

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 3523

दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

गनी बैग का आयात

3523 श्री के. षणमुग सुंदरमः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को बांग्लादेश और नेपाल से गनी बैग के आयात के बारें में जानकारी है जबकि भारतीय जूट उद्योग को क्रय आदेश मिलने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या मंत्रालय के पास जूट आयुक्त की कोई रिपोर्ट है कि सांविधिक पैकिंग क्रय आदेश का उल्लंघन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जूट उद्योग के पुनरुद्धार के लिए और अन्य देशों से जूट के बैगों के आयात को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): जी हां। सरकारी आदेशों के अनुसार, 100 प्रतिशत खाद्यान्न और 20 प्रतिशत चीनी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को आपूर्ति हेतु जूट बैग में अनिवार्य रुप से पैक किया जाना चाहिए। चूंकि सरकारी एजेंसियों की मांग घरेलू बाजार में उपलब्ध आपूर्ति से अधिक हो जाती है, इसलिए आयात के माध्यम से इसे पूरा किया जाता है।

(ख) और (ग): ऐसी कोई रिपोर्ट जूट आयुक्त से प्राप्त नही हुई है।

(घ): जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 के तहत, प्रत्येक वर्ष, सरकार वस्तुओं और उस सीमा को विनिर्दिष्ट करती है जहां तक उन्हें अनिवार्य रुप से जूट पैकेजिंग सामग्री को पैक करना अपेक्षित है। इसने पिछले तीन दशकों में जूट उद्योग को प्रचुर सहायता प्रदान की है। सरकार द्वारा अनुशंसित आरक्षण का स्तर पिछले तीन वर्षों में निम्नानुसार हैः–

आदेश तिथि	वर्ष	चीनी	खाद्यान्न
09.03.2018	2017–18	20%	90%
30.11.2019	2018–19	20%	100%
20.12.2019	2019–20	20%	100%
26.11.2020	2020–21	20%	100%

वित्त मंत्रालय ने कतिपय जूट उत्पादों के पाटन द्वारा उत्पन्न क्षति को दूर करने के उद्देश्य से नेपाल और बांग्लादेश से उनके आयात पर दिनांक 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचना के तहत पाटन–रोधी शुल्क लगाया है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3529

<u>दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग

3529. श्री कृष्णपाल सिंह यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की विश्वसनीयता और मांग बढ़ रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा उद्योगों और किसानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके लिए किन योजनाओं पर विचार किया जा रहा है;
(ग) क्या सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात बढ़ाने के प्रयास सफल रहे हैं तथा यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का घरेलू उद्योगों और कृषि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रावधान करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) : वर्ष 2017, 2018 और 2019 (जनवरी-दिसम्बर) में विश्व पण्यवस्तु निर्यात में भारत का हिस्सा 1.7 प्रतिशत पर स्थिर है। तथापि, निर्यातक के रूप में भारत का रैंक 2017 में 20वें स्थान से सुधरकर 2019 में 18वें स्थान पर आ गया (नवीनतम उपलब्ध डब्ल्यूटीओ प्रेस रिलीज के अनुसार) इससे यह संकेत मिलता है कि विश्व बैंक में भारतीय उत्पादों की विश्वसनीयता और मांग में वृद्धि हो रही है।

(ख) : उद्योगों और किसानों के लिए विश्व बाजार प्रदान करने के लिए क्रियान्वित की जा रही कुछ पहलें और स्कीमें निम्नलिखित हैं :-

1. कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्यपालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों से संबंधित कृषि निर्यातों पर जोर देने के लिए एक व्यापक "कृषि निर्यात नीति" कार्यान्वयन के अधीन है।

2. कृषि उत्पादों के निर्यात और कृषि उत्पादों के विपणन के लिए माल भाड़ा हानि का प्रशमन करने के लिए भाड़े के अंतरराष्ट्रीय घटक को सहायता प्रदान करने के लिए एक 'विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए यातायात एवं विपणन सहायता;नामक एक केंद्रीय सेक्टर की एक स्कीम कार्यान्वयन के अधीन है।

3. निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात सहित वाणिज्य विभाग की अनेक स्कीमें जैसे निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल स्कीम इत्यादि हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), तम्बाकू बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड और मसाला बोर्ड की निर्यात संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत भी कृषि उत्पादों के निर्यातकों को सहायता उपलब्ध है।

4. प्रत्येक जिले में निर्यात संभावना के उत्पादों की पहचान करके जिलों को निर्यात हब के रूप में बढ़ावा देना, इन उत्पादों के निर्यात की बाधाओं को दूर करना और जिले में रोजगार के सृजन के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहयोग देना।

5. सरकार ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) का शुभारंभ किया है। यह स्कीम केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर विभिन्न चरणों में उन केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों/करों/उगाही की छूट प्रदान करती है जो निर्यातित उत्पादों के विनिर्माण और वितरण की प्रक्रिया में व्यय होती हैं और जिन्हें किसी अन्य कर छूट स्कीम के तहत वापस नहीं किया गया हो। इसके अतिरिक्त, अन्य निर्यात संवर्धन स्कीमों के साथ शुल्कों के ड्राबैक, जीएसटी के माध्यम से निर्यात जीरो रेटिड हैं।

6. पूर्व एवं पश्चात शिपमेंट रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समकरण स्कीम को एक वर्ष यथा 31.03.2021 तक बढ़ाया गया है।

7. निर्यातकों द्वारा व्यापार के सुगमीकरण एवं एफटीए उपयोगिता में वृद्धि के लिए उद्गम के प्रमाणपत्र के लिए साझा डिजीटल मंच का शुभारंभ किया गया है।

8. भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों के बढ़ावा देने के लिए भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।

(ग) : भारत का पण्यवस्तु निर्यात वर्ष 2016-17 में 275.85 बिलियन यूएसडी से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 313.36 बिलियन यूएसडी हो गया, जिसमें पिछले तीन वर्षों में 37.51 बिलियन यूएसडी की बढ़ोतरी हुई है।

(घ) : वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट, विस्तृत एवं व्यापक तौर पर भारत की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता और विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक पहलें परिकल्पित करता है जो भारत के निर्यात को विकसित, विविधीकरण प्रौद्योगिकीय वृद्धि में सक्षम बनाएगा। यह सुदृढ़ अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स के सृजन सहित निवेश के लिए भौतिक परिवेश और अनुमोदनों तथा प्रक्रियाओं दोनों के क्षेत्र में व्यवसाय करने की सुगमता को कवर करता है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **3533**

<u>दिनांक</u> <u>17,</u> **<u>मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>**

निर्यात संवर्धन परिषद् (ईपीसी)

3533 : श्री गिरीश भालचन्द्र बापट :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा अब तक बनाए गए निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) का ब्यौरा क्या है और इनकी संख्या कितनी है ;
(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान इन ईपीसी द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा और कार्य की प्रकृति क्या है ; और
(ग) क्या उनके निष्पादन की कोई संपरीक्षा हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग) : निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) निर्यातकों के संगठन हैं, जिन्हें भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम/कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। परिषदें विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020 के परिशिष्ट 2 टी में दिए गए उत्पादों/परियोजनाओं / सेवाओं के एक विशेष समूह को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी हैं । वर्तमान में, 27 ऐसे ईपीसी की सूची **अनुबंध** में दी गई है। निर्यातकों के साथ बातचीत की सुविधा और परिषदों के निष्पादन का आकलन करने के लिए परिषदों के साथ नियमित रूप से संयुक्त बैठकें आयोजित की जाती हैं। परिषदों के लेखा अनिवार्य लेखा परीक्षा के अधीन हैं। प्रत्येक वर्ष संसद में वार्षिक रिपोर्ट के साथ परिषदों की निष्पादन समीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

****

अनुबंध

निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) की सूची ।

1. ऐपरेल निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी), गुरूग्राम
2. बेसिक केमिकल्स, कोस्मेटिक्स एंड डाइस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (चेमेक्ससिल),मुंबई
3. कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीईपीसी), नई दिल्ली
4. काजू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (सीईपीसीआई), कोल्लम, केरल
5. कैमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (कैपेक्सिल), कोलकाता
6. कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (टेक्सप्रोसिल), मुंबई
7. काउंसिल फॉर आर लेदर एक्सपोर्ट्स (सीएलई), चेन्नई
8. ईईपीसी इंडिया, कोलकाता
9. इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्प्यूटर साफ्टवेअर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईएससी,ईपीसी) , नई दिल्ली
10. एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडिक्राफ्ट्स (ईपीसीएच), नई दिल्ली
11. एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फार ईओयू एंड एसईजेड (ईपीसीईएस), नई दिल्ली
12. जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी), मुंबई
13. हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एचईपीसी), चैन्नई
14. भारतीय तिलहन और उत्पादन निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी), मुंबई
15. इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसईपीसी), नई दिल्ली
16. जूट प्रोड्क्ट्स डेवलेपमेंट एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जेपीडीईपीसी) कोलकाता
17. फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (फार्मेक्सिल), हैदराबाद
18. प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (प्लेक्सकोंसिल), मुंबई
19. पावरलूम डेवलेपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पीडेक्सिल), मुबंई
20. परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी), नई दिल्ली
21. सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी), नई दिल्ली
22. शेलैक एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (शेफेक्सिल), कोलकाता
23. स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसजीईपीसी), नई दिल्ली
24. सिंथेटिक एंड रेयान टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसआरटीईपीसी) मुंबई
25. टेलीकाम इक्विपमेंट एंड सविर्सेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (टीईपीसी) नई दिल्ली
26. वूल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (डब्ल्यूडब्ल्यूईपीसी),मुंबई
27. वूल एंड वूलन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (वूलटेक्सप्रो), नई दिल्ली

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3538

दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

बालों का निर्यात

3538. श्री श्रीधर कोटागिरीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के लिए कच्चे, अर्द्ध, पूर्ण रूप से प्रसस्कृत बालों के प्रति टन मूल्य की घोषणा में किसी अनियमितताओं पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कम मूल्य निर्धारण का उपयोग करके बालों का निर्यात करने वाली कपंनियों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार की मूल्य निर्धारण के उपयोग को रोकने हेतु आकार आधारित प्रति किलो निर्यात मूल्य निर्धारण को कम करने के लिए अर्द्ध–प्रसंस्कृत बालों (एचएस 6703) का निर्यात करने की योजना है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): सरकार को कच्चे मानव बालों के कम बिल बनाने और तस्करी के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मामले को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालय/एजेंसियों को भेज दिया गया है।

(घ) से (ड.): वर्तमान में, अर्ध प्रसंस्कृत बालों (एचएस 6703) के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य रोपित करने की कोई योजना नहीं है। अलग–अलग लम्बाई के बालों के लिए अलग से आईटीसी एचएस कोड नहीं हैं। बालों की कीमत बाल की लम्बाई के आधार पर भिन्न–भिन्न होती है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **3551**

दिनांक 17, **मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए**

निर्यात प्रोत्साहन

3551 : श्रीमती किरण खेर :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की सहायता करने के लिए कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चंडीगढ़ को आबंटित की गई कुलनिधि का क्षेत्र और राज्य - वार ब्यौरा क्या है और निर्यात को प्रोत्साहन देने में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है ;

(ग) संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संभार तंत्र बाधाओं को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है ;

(घ) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कर में छूट देने का प्रावधान किया है और यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड.) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई छूट का मूल्य कितना है और निर्यात को बढ़ाने में उक्त छूट की क्या भूमिका है और उक्त छूट के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या निगरानी प्रणाली मौजूद है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और(ख) : राज्यों से निर्यातों की वृद्धि हेतु उपयुक्त अवसरंचना के सृजन के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करने हेतु भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017 -18 से निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) आरंभ की है । इस स्कीम में स्कीम के दिशानिर्देशानुसार निर्यात अवसंरचना की स्थापना अथवा उनका उन्नयन करने के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । सीमा हाट , भू सीमा शुल्क केंद्रों, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं, कोल्ड चैन, व्यापार प्रोत्साहन केंद्रों , निर्यात वेअरहाउसिंग और

पैकेजिंग, एसईजेड और बंदरगाहों/हवाई अड्डों कार्गो टर्मिनस जैसे महत्वपूर्ण निर्यात लिंकेज के साथ अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, राज्यों द्वारा अपने क्रियान्वयनकारी एजेंसियों के माध्यम से इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। योजना के दिशानिर्देश http://commerce.gov.in पर उपलब्ध हैं।

टीआईईएस स्कीम के तहत, वित्तीय वर्ष 2017 -18, 2018 -19, 2019 -20 और 2020-21 (दिनांक 12 मार्च, 2021 तक) दौरान कुल 44 निर्यात अवसंरचना परियोजना के लिए वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई है । विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान डीओसी की स्कीम के तहत जारी की गई राज्यवार निधियों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है ।

इसके अलावा, निर्यात हब के रूप में जिलों को बढ़ावा देने का कार्य उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सहयोग से विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा समन्वित किया जा रहा है । यह पहल राज्यों और जिलों को निर्यात वृद्धि उन्मुख बनाते हुए निर्यात संवर्धन, निर्माण और रोजगार सृजन करने का प्रयास करता है ।

(ग) लॉजिस्टिक बाधाओं में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। लॉजिस्टिक प्रभाग, वाणिज्य विभाग लॉजिस्टिक संबंधी मुद्दों का समाधान करने तथा राज्य में और उसके बाहर व्यापार को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकारों और संबंद्ध मंत्रालयों के साथ समन्वय कर रहा है ।

(घ) भारत सरकार ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम आरंभ की है । स्कीम में केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न चरणों में केन्द्र, राज्य और स्थानीय शुल्कों/करों/ उगाहियों, जो निर्यातित उत्पादों के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया में व्यय किए गए है किन्तु वर्तमान में किसी अन्य शुल्क छूट स्कीम के तहत वापस नहीं किए जा रहे है, में छूट का प्रयास है । इसके अतिरिक्त, निर्यात शुल्कों की वापसी, जीएसटी प्रतिदाय के साथ - साथ अन्य निर्यात संवर्धन स्कीमों के माध्यम से शून्य रेटिड है ।

(ड.) पिछले तीन वर्षों के दौरान ड्यूटी ड्राबैक स्कीम के तहत वितरित राशि नीचे दी गई है:

वित्तीय वर्ष	**राशि (करोड़ रु. में)**
2017-18	24,223.83
2018-19	16,905.28
2019-20	17,902.71

(स्रोत: सीबीआईसी)

निर्यातक (i) वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों के निर्यात पर भुगतान की गई जीएसटी; अथवा (ii) जीएसटी के भुगतान के बिना निर्यात की गई वस्तुओं अथवा सेवाओं

अथवा दोनों के संबंध में उपयोग नहीं किए गए इनपुट कर क्रेडिट, दोनों में एक के प्रतिदाय का दावा करने के पात्र हैं ।

आईजीएसटी के भुगतान सहित सेवाओं के निर्यात और आईजीएसटी के भुगतान के बिना वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के कारण निर्यातकों को प्रदान की गई जीएसटी के तहत वापस की गई राशि निम्नानुसार है ।

वित्तीय वर्ष	**राशि (करोड़ रु.में)**
2018-19	8,063.36
2019-20	31,632.61
2020-21 (11.03.2021 तक)	44,118.48

(स्रोत: सीबीआईसी)

आईजीएसटी के भुगतान सहित माल के निर्यात के कारण निर्यातकों को वापस की गई राशि:

वित्तीय वर्ष	**राशि (करोड़ रु. में)**
2018-19	55477
2019-20	56686
2020-21 (11.03.2021 तक)	43493

(स्रोत: सीबीआईसी)

इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से ड्यूटी ड्राबैक योजना और आरओडीटीईपी का संचालन सुनिश्चित करता है कि इसका लाभ सीधे निर्यातकों को दिया जाता है और इसका उचित उपयोग किया जाता है।

****

अनुबंध

टीआईईएस {वित्तीय वर्ष 2017-1 8 से वित्तीय वर्ष 2020-21 (12 .03.2021 तक) } के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	**राज्य / संघ शासित क्षेत्र का नाम**	**वर्ष**	**स्वीकृत नई परियोजनाओं की संख्या**	**टीआईईएस द्वारा जारी की गई निधि (करोड़ रु. में)**
1.	कर्नाटक	2017-18	3	5.85
		2018-19	0	2.85*
		2019-20	0	2.65*
		2020-21	0	0
		कुल	**3**	**11.35**
2	केरल	2017-18	1	6.5
		2018-19	0	6.5*
		2019-20	1	10
		2020-21	0	0
		कुल	**2**	**23**
3	मणिपुर	2017-18	1	6
		2018-19	1	5.63
		2019-20	0	0
		2020-21	0	5.63*
		कुल	**2**	**17.26**
4	आंध्र प्रदेश	2017-18	2	8.15
		2018-19	0	26.0144*
		2019-20	0	9.9856*
		2020-21	2	13**
		कुल	**4**	**57.15**
5	तमिलनाडु	2017-18	2	14.78
		2018-19	4	15.65
		2019-20	5	15.91*
		2020-21	1	14.4584*
		कुल	**12**	**60.7984**
6	मध्य प्रदेश	2017-18	2	25.71
		2018-19	1	1.80**
		2019-20	0	8.04*
		2020-21	0	0
		कुल	**3**	**35.55**
7	उत्तर प्रदेश	2017-18	1	1.07
		2018-19	0	0
		2019-20	0	0.48
		2020-21	0	0
		कुल	**1**	**1.55**
8	महाराष्ट्र	2017-18	1	1.52
		2018-19	0	0
		2019-20	0	1.52*
		2020-21	1	6.37**
		कुल	**2**	**9.41**
9	त्रिपुरा	2017-18	1	6.15
		2018-19	0	0
		2019-20	0	0
		2020-21	2	2.58**
		कुल	**3**	**8.73**
10	पश्चिम बंगाल	2017-18	1	4.27
		2018-19	0	2.56*
		2019-20	0	0

		2020-21	0	0
		कुल	**1**	**6.83**
11	दिल्ली	2017-18	0	0
		2018-19	1	8
		2019-20	0	0
		2020-21	0	0
		कुल	**1**	**8**
12	राजस्थान	2017-18	0	0
		2018-19	2	3.0681
		2019-20	0	0
		2020-21	0	0
		कुल	**2**	**3.0681**
13	चंडीगढ़	2017-18	0	0
		2018-19	1	2.81
		2019-20	0	0
		2020-21	0	0
		कुल	**1**	**2.81**
14	असम	2017-18	0	0
		2018-19	0	0
		2019-20	2	5.7725
		2020-21	0	5.6875*
		कुल	**2**	**11.46**
15	पंजाब	2017-18	0	0
		2018-19	0	0
		2019-20	2	0
		2020-21	0	5.77*
		कुल	**2**	**5.77**
16	झारखंड	2017-18	0	0
		2018-19	0	0
		2019-20	1	9.80
		2020-21	0	0
		कुल	**1**	**9.80**
17.	सिक्किम	2017-18	0	0
		2018-19	0	0
		2019-20	0	0
		2020-21	1	8.87**
		कुल	**1**	**8.87**
18.	हरियाणा	2017-18	0	0
		2018-19	0	0
		2019-20	1	0
		2020-21	0	6.06*
		कुल	**1**	**6.06**
	कुल योग		**44**	**287.4665**
	* पिछले वित्तीय वर्ष में अनुमोदित पहले से स्वीकृत परियोजना / नई परियोजनाओं में बाद की किस्तों का संवितरण शामिल है। ** अब तक निधि वितरित नहीं की गई है।			

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **3554**

दिनांक 17, मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आर.सी.ई.पी)

3554 : श्री पी. आर. नटराजन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आर.सी.ई.पी) का आयोजन योजना के अनुसार किया गया था ;
(ख) यदि हां, तो बीजिंग बैठक में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है है;
(ग) क्या बैठक से पहले भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों से परामर्श किया गया था; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ) सरकार ने घरेलू उद्योग, निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों, व्यापार विशेषज्ञों विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, शिक्षाविदों और राज्य सरकारों आदि जैसे हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किए तथा इनपुट प्राप्त किए, जिन्हे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) वार्ताओं में भारत की स्थिति प्रतिपादित करते समय ध्यान में रखा गया ।

दिनांक 4 नवंबर, 2019 को बैंकाक में आयोजित तीसरे आरसीईपी लीडर्स समिट के दौरान, भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि आरसीईपी की वर्तमान संरचना आरसीईपी मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं करती है या भारत के बकाया मुद्दों और चितांओं का समाधान नहीं करती, इसके आलोक में भारत इस सर्वसम्मति में शामिल नहीं हुआ । आरसीईपी में भारत की स्थिति न्यायसंगत परिणामों, संतुलित आकांक्षाओं को प्राप्त करने तथा छोटे उद्यमियों सहित अपने हित धारकों की घरेलू संवेदनशीलताओं का समाधान करने के लिए तैयार की गई थी ।

नवंबर, 2019 समिट से पहले, दिनांक 2-3 अगस्त, 2019 को बीजिंग में आयोजित 8वीं आरसीईपी अन्तरसत्रीय मंत्रीस्तरीय बैठक के दौरान सहित भारत ने बाजार पहुँच और असंतुलित व्यापार के अन्य मुद्दों तथा मौजूदा व्यापार असंतुलन के कारणों का समाधान करने की जरूरत की अपनी चिंता को व्यक्त किया था ।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **3571**

<u>दिनांक</u> <u>17,</u> **<u>मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>**

ए.पी.ई.डी.ए.

3571 : श्री पी.सी. मोहन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अनुसूचित उत्पादों का ब्यौरा क्या है जिनके निर्यात में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.) सहायता प्रदान करता है ;
(ख) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कोई प्रयास किए है;
(ग) यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के सहयोग से कृषि उत्पाद निर्यात विपणन संवर्धन के लिए वास्तविक माध्यम ढूंढ़ने के लिए क्या कदत उठाए गए हैं ?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) : कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, (एपीडा) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अधिनियम 1985 की पहली अनुसूची में शामिल निम्नलिखित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और विकास की जिम्मेदारी के साथ अधिदेशित है:

1. फल, सब्जियां और उनके उत्पाद
2. मांस और मांस उत्पाद
3. कुक्कुट और पोल्ट्री उत्पाद
4. दुग्ध उत्पाद
5. कन्फेक्शनरी, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद
6. शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद
7. कोको और उसके उत्पाद, सभी प्रकार के चॉकलेट
8. अल्कोहल युक्त और गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ
9. अनाज और अनाज उत्पाद
10. मूंगफली, पीनट और अखरोट
11. अचार, पापड़ और चटनी
12. ग्वार गम
13. फूलों की खेती और पुष्प कृषि उत्पाद

(ख) और (ग) : कृषि निर्यात को बढ़ावा देना एक सतत प्रक्रिया है । कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भारत को कृषि में वैश्विक शक्ति बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतिगत साधनों के माध्यम से भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता को काम में लाने हेतु एक विस्तृत कृषि निर्यात नीति को आरंभ किया है ।

सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए और कृषि उत्पादों के विपणन के लिए माल ढुलाई को कम करने, माल ढुलाई के अंतर्राष्ट्रीय कंपोनेंट को सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना - विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता को भी आरंभ किया है ।

वाणिज्य विभाग की कृषि उत्पादों के निर्यात सहित निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्कीमें अर्थात निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुँच पहल (एमएआई) स्कीम आदि हैं । इसके अतिरिक्त, एपीडा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), तंबाकू बोर्ड, चाय बोर्ड, काफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड और मसाला बोर्ड की निर्यात संवर्धन स्कीमों, के तहत कृषि उत्पादों के निर्यातकों को सहायता प्रदान की जाती है ।

(घ) भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, विदेश स्थित भारतीय मिशनों के सहयोग से अनेक देशों, के साथ वर्चुअल क्रेता - विक्रेता बैठकों (वी - बीएसएमएस) का आयोजन किया गया है । आयातकों, भारतीय निर्यातकों और व्यापार एसोसिएशनों ने व्यापार अवसरों का पता लगाने के लिए इन वी - बीएसएमएस में भाग लिया । यूएई - कुवैत, इंडोनेशिया, स्विटजरलैंड, बेल्जियम, ईरान, कनाडा (जैविक उत्पादों) यूएई एवं यूएसए (जीआई उत्पादों), जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, थाईलैंड, ओमान, भूटान, अजरबैजान और सउदी अरेबिया के साथ वी - बीएसएमएस आयोजित की गई हैं ।

एपीडा ने एक वर्चुअल मंच पर अनेक देशों के आयातकों के साथ वार्ता करने के लिए कृषि उत्पादों के हमारे निर्यातकों हेतु अवसर प्रदान करने के लिए अपना स्वयं का एक वर्चुअल ट्रेड फेअर (वीटीएफ) एप्लीकेशन विकसित किया है । दिनांक 10 मार्च, 2021 को अनाज के उत्पादों के लिए पहला वर्चुअल व्यापार मेला आरंभ किया गया ।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **3576**

दिनांक 17, मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात

3576 : श्रीमती भावना गवली (पाटील):
श्री संजय जाधव :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्यात किए गए समुद्री खाद्य उत्पादों की स्थिति क्या है ;
(ख) क्या उक्त निर्यात का प्राथमिक गंतव्य स्थान अमरीका है ;
(ग) यदि हॉ, तो क्या अमरीका ने भारत से समुद्री खाद्य उत्पादों के आयात पर कुछ शर्तें अधिरोपित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(घ) क्या सरकार ने उक्त निर्यात में कोई राजसहायता प्रदान की है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उक्त निर्यात को बढ़ावा देने की क्या कार्य योजना बनाई गई है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत से निर्यात किए गए समुद्री खाद्य भोजन उत्पादों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)			
	2017-18	**2018-19**	**2019-20**
अमरीका	2320.05	2344.43	2562.54
जापान	445.27	423.27	422.24
यूरोपीय संघ	1116.74	900.50	876.47
चीन	227.39	811.14	1374.63
दक्षिण पूर्व एशिया	2237.07	1531.53	705.99
मध्य पूर्व	290.46	286.30	297.23
अन्य	444.57	431.33	439.60
कुल	7081.55	6728.50	6678.69

(ख) जी हां ।

(ग) भारत सहित सभी निर्यातक देशों से समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात पर यूएसए द्वारा दो प्रमुख शर्तें लगाई गई है : -

(i) यूएस पब्लिक लॉ 101-162 की धारा 609 की में झींगा और झींगा के उत्पादों को प्राप्त करने के उन तरीकों, जो समुद्री कछुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते है, पर प्रतिबंध है, जब तक कि अमरीकी विदेश विभाग, अमरीकी कांग्रेस को यह नही प्रमाणित करता कि उक्त उत्पादों को प्राप्त करने वाली सरकार ने अपने झींगा ट्राल फिशरियों में समुद्री कछुओं को आकस्मिक रूप से कम करने के उपाय किए हैं जो कि यूएसए के तुल्य है अथवा समुद्री जीव पकड़ने वाले राष्ट्र के मछली पकड़ने का वातावरण समुद्री कछुओं के लिए खतरा पैदा नहीं करता है ।

(ii) एनओएए के राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन सेवा, यूएसए ने राष्ट्रीय स्तनपायी संरक्षण अधिनियम (आयात) नियम, आरंभ किया था जिसमें बताया गया है कि संयुक्त राज्य को मछली और मत्स्य उत्पादों का निर्यात कर रहे राष्ट्रों में समुद्री स्तनपायी बायकैच को कम करने के लिए नियामक कार्यक्रम है जो कि प्रभावशीलता में संयुक्त राज्य द्वारा किए गए उपायों के तुल्य है । तदनुसार, समुद्री स्तनधारियों की आकस्मिक/जानबूझकर मृत्यु दर अथवा गंभीर चोट पता लगाने के लिए निर्यातक राष्ट्रों के नियामक कार्यक्रमों का आकलन करने तथा यूएसए को समुद्री खाद्य निर्यातों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सहित समुद्री खाद्य निर्यात करने वाले सभी देशों को नवंबर, 2021 तक एमएमपीए आयात नियम के तहत अभिज्ञात वाणिज्यिक मछली पकड़ने की प्रक्रिया के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है ।

(घ) और (ड.) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अवसंरचना के विकास, निर्यात में मूल्यवर्धन और नई प्रौद्योगिकियों को आरंभ करने, के लिए समुद्री खाद्य प्रसंस्करण कर्ताओं/निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा था । जिसका उद्देश्य उच्च मूल्यवर्धन में अधिक निवेश, उच्च इकाई मूल्य वाली प्रशीतित और शुष्क समुद्री उत्पादों के निर्यात की सुविधा स्थापित करना है । एम्पीडा ने वित्तीय वर्ष 2019 -20 के दौरान लगभग 14.42 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है ।

भारत सरकार पांच वर्षों से देश में मत्स्य पालन के विकास के लिए 20,050 करोड़ रूपए के परिकल्पित निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को लागू कर रहा है, जो कि निर्यातों को बढ़ाएगा । पीएमएमएसवाई में एम्पीडा के सहयोग से प्रजातियों का विविधीकरण, मूल्यवर्धन, अवसंरचना सृजन, आधुनिकीकरण, कैच टू कंस्यूमर से आरंभ से अंत तक ट्रेसिबिलिटी, ब्रांड संवर्धन, प्रमाणन आदि पर फोकस परिकल्पित है । इसके अतिरिक्त , अच्छी जलीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना , ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी का उपयोग , वैश्विक मानक और प्रमाणन , ब्रूड बैंकों की मान्यता , हैचरी, खेतों आदि को पीएमएमएसवाई योजना के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है। इन उपायों से बेहतर गुणवत्ता, उच्च उत्पादकता , निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार और मछुआरों और किसानों के लिए उच्च मूल्य प्राप्त करना सुनिश्चित होगा ।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 3590

दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत का आयात

3590 श्रीमती माला राय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन शीर्ष पांच देशों का ब्यौरा क्या है जहां से भारत ने गत एक वर्ष में माल का आयात किया तथा आयात की राशि कितनी है; और

(ख) चीन से आयात के क्या कारण हैं तथा गत एक वर्ष में चीन से आयात का कारोबार मूल्य कितना है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): शीर्ष पांच देशों जहां से 2020 (जनवरी–दिसम्बर) के दौरान भारत ने आयात किया है, का विवरण निम्नानुसार हैं:

(मूल्य अमेरिकी बिलियन डॉलर में)

क्रम सं.	देश	2020 *(जनवरी–दिसम्बर)
1	चीन	58.71
2	यू एस ए	26.89
3	संयुक्त अरब अमीरात	23.96
4	सउदी अरब	17.73
5	ईराक	16.26
उपर्युक्त का कुल		**143.55**
प्रतिशत हिस्सा		**38.59**
भारत का कुल आयात		**371.98**

*स्रोतः डीजीसीआईएण्डएस. *अनंतिम*

विभिन्न मदों के लिए घरेलू उत्पादन और आपूर्ति, उपभोक्ता मांग और वरीयताओं के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए आयात होते हैं। चीन से आयात की प्रमुख मदें जैसे कि दूरसंचार उपकरण, कंम्प्यूटर हार्डवेयर और सहायक उर्वरक, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक संघटक/उपकरण, परियोजना के सामान कार्बनिक रसायन, ड्रग इन्टरमीडीएट्स, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी आदि उत्पाद हैं।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3600

दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

जैविक उत्पादों का निर्यात

3600. श्री अरुण साव :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जैविक उत्पादों के निर्यात हेतु कोई विशेष कार्य योजना आरंभ की गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित जैविक उत्पादों की मात्रा का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों में जैविक उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हेतु कोई विशेष योजना कार्यान्वित कर रही है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) एवं (ख) : सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य सहित, देश से जैविक उत्पादों के निर्यात के विनियमन एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) आरंभ किया है । एनपीओपी के तहत जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) द्वारा प्रत्यायित प्रमाणन निकाय द्वारा जारी 'जैविक उत्पाद' के रूप में निर्यात के लिए एक संव्यवहार प्रमाणपत्र अनिवार्य है । इसके अलावा, केवल एनपीओपी में दिए गए मानकों के अनुसार उत्पादित, प्रसंस्कृत तथा पैक किए गए उत्पादों को ही निर्यात के लिए 'जैविक उत्पादों ' के रूप में प्रमाणित किया जाता है ।

(ग) : विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए जैविक उत्पादों की मात्रा निम्नानुसार है:-

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20
मात्रा (मी टन में)	458339.01	614088.39	638998.44

स्रोत: ट्रेसनेट में प्रमाणन निकायों द्वारा प्रस्तुत डेटा

(घ) एवं (ड.) : जैविक उत्पादों का निर्यात संवर्धन करना एक सतत् प्रक्रिया है । वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त संगठन, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों

में जैविक उत्पादों के निर्यात संवर्धन करने का अधिदेश है। एपीडा अपनी निर्यात संवर्धन स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत जैविक उत्पादों के निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है। एपीडा जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां अर्थात राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत नए उत्पादों को शामिल करना, एनपीओपी मानकों को आयात करने वाले देशों से मान्यता प्राप्त कराने के प्रयास करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से इंडिया आर्गेनिक' ब्रांड को बढ़ावा देना, क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित करना, क्षमता निर्माण एवं आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना आदि भी करता है।

****

भारत सरकार | लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं. 3605
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

एसईजेड

3605. श्री विजय बघेल :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं ;
(ख) देश में एसईजेड की संख्या और ब्यौरा क्या है ;
(ग) क्या देश के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को एसईजेड का लाभ मिल रहा है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) : विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति अप्रैल, 2000 में शुरू की गई थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005, मई, 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जिस पर 23 जून, 2005 को राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त हुई। एसईजेड नियम, 2006, 10 फरवरी, 2006 से प्रभावी हुआ । एसईजेड योजना की मुख्य विशेषताएं हैं: -

(i) एसईजेड में अधिकृत संचालन के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट शुल्क मुक्त एन्क्लेव को भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र के रूप में समझा जाए ;
(ii) आयात के लिए कोई लाइसेंस आवश्यक नहीं;
(iii) विनिर्माण या सेवा गतिविधियों की अनुमति;
(iv) इकाई उत्पादन शुरू होने से पांच साल की अवधि के लिए सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा का परिकलन संचयी रूप से प्राप्त करेगी;
(v) घरेलू बिक्री, प्रभावी पूर्ण सीमा शुल्क और आयात नीति के अध्ययधीन होगी;
(vi) एसईजेड इकाइयों को उप-संविदा की स्वतंत्रता होगी;

(vii) **सीमा शुल्कअधिकारियों द्वारा निर्यात/आयात कार्गो की कोई नियमित जांच नहीं;**

(viii) **एसईजेड डेवलपर्स/सह-डेवलपर्स और इकाइयां, एसईजेड अधिनियम, 2005 में विहित प्रावधान के अनुसार कर लाभों का उपभोग करेंगें ।**

देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:-

i. **अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन**

ii. **वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात संवर्धन**

iii. **घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढावा देना**

iv. **रोजगार के अवसरों का सृजन;**

v. **अवसंरचना सुविधाओं का विकास**

(ख): एसईजेड, अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पूर्व केंद्रीय सरकार के 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और 12 राज्य/निजी क्षेत्र के एसईजेड थे । इसके अतिरिक्त, देश में एसईजेड की स्थापना करने के लिए 425 प्रस्तावों को एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है । वर्तमान में, 378 एसईजेड अधिसूचित हैं, जिनमें से 265 एसईजेड प्रचालनशील हैं । एसईजेड का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र - वार ब्यौरा अनुबंध - । में दिया गया है ।

(ग) और (घ) : जी हां, भारत में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 8 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को मंजूरी दी गई है । इन 8 एसईजेड में से 7 को अधिसूचित किया गया है और 4 प्रचालनशील हैं । भारत में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण एसईजेडस का विवरण दर्शाते हुए एक ब्यौरा अनुबंध -।। पर दिया गया है । पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष 2020-21 (अर्थात 31 दिसंबर, 2020 तक) के दौरान इन एसईजेड से निर्यात निम्नानुसार है :

वर्ष	निर्यात (मूल्य करोड रूपए में)
2015-16	2365
2016-17	4061
2017-18	4117
2018-19	4405
2019-20	5219
2020-21 (31.12.2020 तक)	5456

*****

अनुबंध - I

अनुमोदित एसईजेड का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश-वार वितरण					
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**एसईजेड अधिनियम, 2005 अधनियमित होने से पहले स्थापित केंद्र सरकार द्वारा एसईजेड**	**एसईजेड अधिनयम, 2005 के अधिनियमन से पहले स्थापित राज्य सरकार/निजी क्षेत्र के एसईजेड**	**एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत औपचारिक अनुमोदन**	**एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित एसईजेड**	**कुल प्रचालनशील सेज (एसईजेड अधिनियम से पहले + एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत सहित)**
आंध्र प्रदेश	1	0	32	27	24
चंडीगढ	0	0	2	2	2
छत्तीसगढ	0	0	2	1	1
दिल्ली	0	0	2	0	0
गोवा	0	0	7	3	0
गुजरात	1	2	26	22	21
हरियाणा	0	0	25	22	7
झारखंड	0	0	2	2	0
कर्नाटक	0	0	63	52	34
केरल	1	0	29	25	20
मध्य प्रदेश	0	1	12	7	5
महाराष्ट्र	1	0	51	45	37
मणिपुर	0	0	1	1	0
नागालैंड	0	0	2	2	0
उडीसा	0	0	7	5	5
पुडुचेरी	0	0	1	0	0
पंजाब	0	0	5	3	3
राजस्थान	0	2	5	4	3
सिक्किम	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	1	4	56	53	48
तेलंगाना	0	0	63	56	34
त्रिपुरा	0	0	1	1	0
उत्तर प्रदेश	1	1	24	21	14
पश्चिम बंगाल	1	2	7	5	7
कुल योग	**7**	**12**	**425**	**359**	**265**

*****

अनुबंध-II

भारत में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण एसईजेड की सूची			
क्रम सं.	विकासकर्ता का नाम	स्थान	एसईजेड की स्थिति
1	केरल इंडस्ट्रीयल इन्फ्रा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (किन्फ्रा)	मलप्पुरम जिला, केरल	अधिसूचित और प्रचानलशील
2	पैरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	अधिसूचित और प्रचानलशील
3	सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लि0	तूतीकोरिन जिला, तमिलनाडु	अधिसूचित और प्रचानलशील
4	सीसीएल उत्पाद (इंडिया) लिमिटेड	चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	अधिसूचित और प्रचानलशील
5	नागालैंड औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	दीमापुर, नागालैंड	अधिसूचित
6	अंसल कलर्स इंजीनियरिंग एसईजेड लिमिटेड	सोनीपत , हरियाणा	अधिसूचित
7	त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	पश्चिम जलेफा , सबरूम , दक्षिण त्रिपुरा जिला, त्रिपुरा	अधिसूचित
8	अक्षयपात्र इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लिमिटेड	मेहसाणा , गुजरात	औपचारिक अनुमोदन

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3616

दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

व्यापार नीति

3616 श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान व्यापार नीति मार्च, 2021 में समाप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने एक नई व्यापार नीति तैयार की है और यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) विभिन्न हितधारकों के साथ हुई परामर्शों का ब्यौरा क्या है और मंत्रालय द्वारा दिए गए और स्वीकार किए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): मौजूदा विदेश व्यापार नीति (2015–2020) जिसे पांच वर्षों की अवधि हेतु घोषित किया गया था, को कोविड–19 की वजह से एक वर्ष के लिए 31 मार्च, 2021 तक बढाया गया। विदेश व्यापार नीति (2021–2026) को तैयार करने के लिए व्यक्तियों, निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग संघों और अन्य स्टेकहोल्डरों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए ट्रेड नोटिस सं. 34 दिनांक 12.11.2020 जारी किया गया जिसके आधार पर अनेक इन्पुट्स/सुझाव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकारों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक दिनांक 02.12.2020 को आयोजित की गई थी। निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और उद्योग संघों के साथ बैठकें क्रमशः दिनांक 04.12.2020 और 07.12.2020 को आयोजित की गई थी। ईपीसी और उद्योग संघों के साथ एक अन्य बैंक दिनांक 11.02.2021 को हुई। परामर्श के भाग के रुप में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की एक बैठक 'नई विदेश व्यापार नीति' के संबंध में दिनांक 12 जनवरी, 2021 को आयोजित की गई। नई विदेश व्यापार नीति (2021–20) को तैयार करने का कार्य चल रहा है।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3617

दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

बागान फसलें

3617. एडवोकेट डीन कुरियाकोस :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकार इस बात से अवगत है कि वर्तमान में रबर, चाय, कॉफी, मसाले आदि जैसी कई बागान फसलें असामान्य रूप से कठिन दौर से गुजर रही हैं, जिनमें उत्पादन की उच्च लागत के साथ कम मूल्य सम्मिलित हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अगामी जनगणना से बागान फसलों का कृषि वस्तुओं के रूप में पुन:वर्गीकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि किसान भारी ऋण जाल की ओर बढ़ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के किसान को दी गइ कर्ज माफी का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) एवं (ख) : अन्य फसलों की तरह बागान फसलें अर्थात रबड़, चाय, कॉफी और मसाले कच्चे माल, मजदूरी तथा मांग-आपूर्ति परिदृश्य जैसे विभिन्न आदानों की लागत में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हैं। सरकार ने संबंधित कमोडिटी बोर्ड के जरिये नए रोपण पुनर्रोपण, कायाकल्प, गुणवत्ता उन्नयन, मूल्यवर्धन एवं बाजार संवर्धन के लिए उपजकर्ताओं और उद्योग को इन बोर्डों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के जरिये वित्तीय एवं तकनीकी

सहायता देकर विभिन्न प्रकार के उपाय किये हैं ताकि बागान फसलों का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके।

वर्तमान वर्ष 2020-21 के दौरान, चाय नीलामी के मूल्य में अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 तक 59.92 रूप प्रति कि.ग्रा. (43.17%) की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह, हाल के महीनों के दौरान, मासिक औसत अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन के मिश्रित सूचक कीमत नवंबर 2020 के 109.70 अमेरिकी सेंट/एलबी से बढ़कर फरवरी 2021 के दौरान 119.35 अमेरिकी सेंट/एलबी हो गई है। आरएसएस 4 श्रेणी के रबड़ की औसत कीमत भी मई, 2020 के 115.75 रूपए प्रति कि.ग्रा. से बढ़कर फरवरी, 2021 के दौरान 156.04 रूपए प्रति कि.ग्रा. हो गई है। अधिकांश प्रमुख मसालों की कीमत तुलनात्मक रूप से उच्च स्तर पर है।

(ग) आगामी जनगणना से कृषि कमोडिटी के रूप में बागान फसलों को पुन:वर्गीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) एवं (ड.) : भारत सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान किसी भी कृषि ऋण माफी की घोषणा नहीं की है।

सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने, कोविड-19 के व्यवधानों के कारण होने वाले वित्तीय तनाव को कम करने के लिए ऋण सेवा तथा गतिशील पूंजी तक पहुँच सुधार पर राहत प्रदान करके विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं। आरबीआई ने 17 अप्रैल, 2020 के अपने परिपत्र द्वारा सभी वाणिज्यिक बैकों को टर्म लोन (कृषि टर्म लोन, खुदरा और फसल ऋण सहित) के संबंध में सभी किस्तों के भुगतान पर 31 अगस्त, 2020 तक की ऋणस्थगन करने की अनुमति दी है। इस तरह के ऋण के लिए पुर्नभुगतान सारणी के साथ-साथ रेसिडुअल अवधि सभी को प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

***

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3627**
(वाणिज्य विभाग)

<u>दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

प्राकृतिक रबड़

3627. श्री तोखेहो येपथोमी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्य देशों से प्राकृतिक रबर का आयात कर रही है;
(ख) यदि हां, तो 2015-2016 से 2020-2021 के दौरान प्रति वर्ष तत्संबंधी ब्यौरा और मात्रा क्या है ;
(ग) क्या प्राकृतिक रबर के आयात पर उत्पाद-शुल्क में रियायत दी जा रही है; और
(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

<u>उत्तर</u>

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) एवं (ख) : सरकार अन्य देशों से प्राकृतिक रबड़ का आयात नहीं कर रही है । तथापि, रबड़ उत्पाद विनिर्माता एवं व्यापारी अन्य देशों से प्राकृतिक रबड़ का आयात कर रहे हैं । 20215-2016 से 2020-21 तक प्राकृतिक रबड़ के आयात का देश - वार विवरण निम्नलिखित है:

(टन में)

देश	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अ)	2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) (अ)
बांग्लादेश	6049	4091	3232	3221	5558	1164
कम्बोडिया	3717	4937	9629	2689	2628	897
कोट ड आइवरी	10362	19696	19112	34594	27056	32479
इंडोनेशिया	212293	224408	274615	245763	165007	119229
मलेशिया	16880	11450	5245	62259	39068	24098
नाइजिरिया	968	1916	1915	504	907	323
फिलीपींस	2903	1251	-	1313	1111	907
श्री लंका	353	958	1199	1264	1201	268

देश	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अ)	2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) (अ)
थाईलैंड	112006	79506	86336	57292	30822	19094
वियतनाम	89914	76288	63338	114433	123127	49046
सिंगापुर	-	-	-	52656	48389	28901
म्यांमार	-	-	-	4194	8229	5171
अन्य	2929	1687	5139	2169	4120	8689
कुल	458374	426188	469760	582351	457223	290266

स्रोत: रबड़ बोर्ड (अ) : अनंतिम

(ग) एवं (घ) : भारत में उत्पादित प्राकृतिक रबड़ पर रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 12 के अंतर्गत विनिर्माताओं से उत्पाद शुल्क (उपकर) का उद्ग्रहण किया गया था । इस प्रावधान को 01.07.20217 से प्रभावी जीएसटी के कार्यान्वयन पर कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार निरस्त कर दिया गया था । आयातित रबड़ पर 01.07.2017 तक उपकर की राशि के समान ही प्रतिकारी शुल्क वसूला गया था । वर्तमान में, प्राकृतिक रबड़ पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी/आईजीएसटी लगती है । इसकी वसूली आयातित प्राकृतिक रबड़ पर भी की जाती है ।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3633

दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

टी बागान

3633. श्री नव कुमार सरनीया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टी बागानों के कुल क्षेत्रफल सहित उनकी कुल संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा तथा नाम क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा टी कंपनियों को कोई राजसहायता दी जा रही है और यदि हां, तो श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को कब तक राष्ट्रीय मापदंडों के समान लाए जाने की संभावना है, चूंकि टी बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 167/-रुपये है;

(ग) क्या टी बागानों में काम करने वाले श्रमिकों पर न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं होती और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कंपनी द्वारा टी बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न टी बागान कंपनियों द्वारा कमाए गए लाभ का ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान सीएसआर निधि से खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) : देश में 420671 हैक्टेयर के कुल चाय क्षेत्रफल के साथ 1569 चाय बागान हैं। नामों सहित चाय बागानों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग) : केंद्र सरकार चाय बोर्ड के माध्यम से चाय क्षेत्र के विकास के लिए चाय विकास और संवर्धन स्कीम (टीडीपीएस) का कार्यान्वयन कर रही है। अन्य बातों के साथ-साथ, इस स्कीम में चाय बागानों के कामगारों और उनके बच्चों/आश्रितों के लिए कल्याणकारी उपाय करना, चाय उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता स्तरोन्नयन, अनुसंधान एवं विस्तार, निर्यातों का संवर्धन एवं मूल्यवर्धन की गतिविधियों को वित्तीय सहायता देना शामिल है। चाय बोर्ड ने चाय कंपनियों को 2017-18 से दिनांक 01.02.2021 तक 217.77 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत, चाय बागान श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण/संशोधित करने के लिए उपयुक्त सरकार है। चाय बागान श्रमिकों को संबंधित राज्य सरकारों के तत्वाधान के तहत उत्पादक संघों और श्रमिक यूनियनों के मध्य सामूहिक बारगेनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से बातचीत से तय करार के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाता है। विभिन्न चाय उगाने वाले राज्यों में समय-समय पर मजदूरी में संशोधन किया जाता है।

(घ) : बागान श्रम अधिनियम, 1951 बागान में काम की स्थिति का विनियमन करता है और चाय कामगारों और उनके परिवारों सहित बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रावधान करता है। इस अधिनियम में नियोक्ता अपने कामगारों को आवास, चिकित्सा सुविधाएं, रोग मुक्ति एवं मातृत्व लाभ एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों की परिकल्पना की गई है। बागान एस्टेट के अंदर कार्यस्थलों में एवं उसके आस-पास चाय बागान श्रमिकों एवं उनके परिवारों के लाभ के लिए उनके बच्चों को शैक्षणिक सुविधा, पेय जल, परिरक्षण, कैंटीन, शिशु गृह एवं मनोरंजन सुविधाओं के लिए भी प्रावधान है। बागान श्रम अधिनियम संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम में कार्यान्वित किया जाता है।

बागान श्रम अधिनियम 1951 के कल्याणकारी प्रावधानों को अब दो श्रम संहिताओं-व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 में सन्निहित कर दिया गया है।

(ड.) : भारतीय कंपनियों के लाभ और हानि से संबंधित डेटा www.mca.gov.in पर उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची-VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 के माध्यम से सरकार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क का प्रावधान करती है। सीएसआर आर्किटेक्चर प्रकटन का प्रावधान करती है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर गतिविधियों का विवरण भरा जाना अपेक्षित होता है। चाय बागान कंपनियों सहित, कंपनियों द्वारा सीसएसआर पर एमसीए21 रजिस्ट्री में सूचित किया गया समस्त डेटा राष्ट्रीय सीएसआर डेटा पोर्टल www.csr.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2014-2015 से 2019-2020 के दौरान कंपनियों द्वारा सीएसआर व्यय का विकास क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

*****

अनुबंध -I

क्र.सं.	बाग का नाम	राज्य	टी क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	ज़ेइंग टी एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	26.00
2	डेकी टी एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	43.23
3	रंगकेतु टी एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	69.00
4	केनकहु टी एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	38.73
5	शांतिवन टी एर्स्टेट (डाइट टी एस्टेट)	अरुणाचल प्रदेश	70.90
6	तेली टी एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	35.00
7	मोपा टी एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	87.00
8	अबाली टी एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	36.13
9	बीसा कृषि प्रा. लिमिटेड	अरुणाचल प्रदेश	258.12
10	बोरदम्स टी एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	64.66
11	बोरदिया टी एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	70.00
12	ओलिग्स टी एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	92.54
13	आरओई टी एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	48.44
14	नबान टी एस्टेट (सापेय कुंग ते)	अरुणाचल प्रदेश	78.22
15	नामचिक टी एर्स्टेट प्राइवेट लिमिटेड	अरुणाचल प्रदेश	156.24
16	डोनी पोलो टी एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	420.94
17	दिवांग टी एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	24.29
18	इडुली टी एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	91.55
19	सरयू रिजो टी एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	122.00
20	फाई याई टी एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	85.00
21	थिंगडन टी एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	50.00
22	लालंग टी एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	248.11
23	लेस्सिंग टी एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	45.02
24	फाई याई टी एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	45.00
25	श्री नन्दा टी एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	76.78
26	लांगचा टी एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	80.00
27	मलीशा टी की दुकान	अरुणाचल प्रदेश	102.00
28	डुलंग टी एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	28.33
29	रजरबी टी एस्टेट	असम	122.55
30	टीओक टी एस्टेट	असम	273.66
31	तीखडीया टी	असम	1171.42
32	तीपम	असम	38.82
33	तिंगमिरा	असम	101.25
34	तमुलबारी टी एस्टेट	असम	333.14
35	तारिणीपुर टी एस्टेट	असम	25.10
36	ताराजन	असम	381.29
37	स्वर्णपुर	असम	55.80

38	सैयदबारी	असम	32.77
39	सायकोट टी एस्टेट	असम	935.00
40	तायराय	असम	25.29
41	तारजुली ते	असम	510.50
42	तारा टी एस्टेट	असम	808.18
43	ताल्लु ताई एस्टेट	असम	863.89
44	तेलोयजन	असम	347.20
45	किशोर एएलआई	असम	392.66
46	तंगलबरी	असम	115.83
47	तोओक टी एस्टेट	असम	522.96
48	तेजपुर और गोगरा ते	असम	548.90
49	तेजलपत्ती टी एस्टेट	असम	249.54
50	तेगापानी टी एस्टेट	असम	425.52
51	थानी टी एस्टेट	असम	469.04
52	थोवरा	असम	501.55
53	टीनखोंग टी एस्टेट	असम	505.37
54	तिलोत्तमा	असम	12.98
55	तीपोमिया	असम	81.32
56	तीर्थ ते	असम	137.84
57	तिंगालिबम ते	असम	624.00
58	टिमन ते	असम	138.93
59	बीजुली टी एस्टेट	असम	172.16
60	ज़ालोनी	असम	413.90
61	वेस्ट जेलिंग ते	असम	466.40
62	वोका ते	असम	282.20
63	सिलकुरी	असम	441.23
64	सिंघलजन	असम	276.08
65	सिमायीटोला	असम	233.06
66	लोंगबाई	असम	172.81
67	सौरभ	असम	19.77
68	स्टॉकिंग टीम	असम	233.34
69	दक्षिण कचर ते	असम	287.48
70	सोलाबाड़ी	असम	47.00
71	सोकलाटिंगा	असम	342.46
72	सोरएपानी	असम	405.95
73	सोतै	असम	185.08
74	सोभनसवारि	असम	92.16
75	सोनपुर टी एस्टेट	असम	329.53
76	सोनिपुर टी एस्टेट	असम	22.26
77	सोनारी	असम	162.04

78	सोनाजुली	असम	561.45
79	सोगरा	असम	50.67
80	सोनभेल	असम	473.72
81	सॉकरिंग	असम	189.28
82	श्री बेहल्ला ती	असम	119.81
83	श्री सिब्बरी टी एस्टेट	असम	110.14
84	श्री कृष्णा एस्टेट	असम	294.06
85	श्रीला ते	असम	47.96
86	सुबोंग टी (पृथ्वी टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड)	असम	357.81
87	सुरज टी एस्टेट	असम	31.52
88	सुरभित योजनाएँ	असम	60.00
89	सुरेशनगर टी एस्टेट	असम	10.65
90	सुल्तानीचेरा	असम	69.00
91	सुर्कजुरी टी एस्टेट	असम	70.00
92	सुफरी टी एस्टेट	असम	545.81
93	संदरपुर टी एस्टेट	असम	242.22
94	सुनटोक टी एस्टेट	असम	403.75
95	सोला टी एस्टेट	असम	155.92
96	शेरा गंगा टी एस्टेट	असम	95.40
97	ट्यूलिप ते	असम	300.11
98	उदलगुडी टी एस्टेट	असम	161.83
99	उदयन ते	असम	168.46
100	उदयज्योति (रंगदोई टीपी)	असम	60.00
101	उमातारा	असम	282.34
102	उमेश ते	असम	60.00
103	उमाबारी ते	असम	54.70
104	तायरून ते	असम	680.02
105	उरानाबुन्ड ते	असम	350.65
106	वेरेनेरपुर ते	असम	306.23
107	विष्णु टी एस्टेट	असम	58.65
108	श्यामपुर	असम	148.39
109	शोनाचार्य ते	असम	54.63
110	श्री लक्ष्मी टी एस्टेट	असम	21.04
111	शांतिपुर	असम	85.64
112	शाकोमातो	असम	640.21
113	श्यामुगुरि	असम	575.25
114	हाथी बाघ की उत्पत्ति	असम	44.87
115	सिंघोरीजन ते	असम	48.89
116	सिंघलशेरा	असम	161.00
117	सिलोनीबारी टी एस्टेट	असम	481.33

118	सिंघरी	असम	421.77
119	सिंघरमरी टी एस्टेट	असम	172.00
120	टोडी	असम	27.84
121	टोकलाए टी एस्टेट	असम	120.27
122	टोकोक ते	असम	845.66
123	टोपिया	असम	81.41
124	तोंगानागों ते	असम	515.84
125	तोगानी टी एस्टेट	असम	169.45
126	साइनगर	असम	43.15
127	सत्यनारायण पाठ की स्थापना	असम	225.13
128	सांती टी एस्टेट	असम	158.07
129	सतीसपुर	असम	93.18
130	सरोजिनी टी एस्टेट	असम	282.40
131	शालमारी	असम	113.09
132	शयाम्मूर्ति	असम	11.02
133	तिप्पुक	असम	546.41
134	सियाकोट टी एस्टेट	असम	472.45
135	सेस्सा	असम	434.02
136	सीपोन टी एस्टेट	असम	586.46
137	सेंगाजन	असम	137.09
138	सेरिसपोर ते	असम	445.74
139	सेलेंग	असम	285.48
140	सेल्फानजुरि भेल ते	असम	726.00
141	सीजुली	असम	296.68
142	सेकंड	असम	382.90
143	संस्सा	असम	662.59
144	सिवपुर टी एस्टेट	असम	194.72
145	सेवाली	असम	38.87
146	सेगुनबारी टी एस्टेट	असम	61.94
147	सँकरा टी एस्टेट	असम	141.71
148	सामदेग टी एस्टेट	असम	906.37
149	सपौरटोली टी एस्टेट	असम	77.00
150	सदासिवा टी एस्टेट	असम	120.88
151	फतेहपुर टी कंपनी	असम	34.00
152	सटकर	असम	13.38
153	समागुडी ते	असम	166.18
154	संगसुआ	असम	386.74
155	सकम्बारी	असम	16.73
156	सागमुटी टी एस्टेट	असम	449.01
157	सलोनहा ते	असम	1178.29

158	सरुमथुरा ते	असम	24.60
159	सलकोथोनी	असम	290.20
160	सापोई	असम	680.99
161	सावित्री टी एस्टेट	असम	129.37
162	रोमाई	असम	312.77
163	रूपाचेरा ते	असम	539.09
164	रोंगबारी	असम	52.02
165	दक्षिण बोरसईकोटा टी एस्टेट	असम	39.29
166	प्रोभकर ते	असम	68.48
167	प्रोमेदेंगर ते	असम	167.15
168	प्रभात टी एस्टेट	असम	115.85
169	रोसकुंडी ते	असम	570.80
170	रूकनी ते	असम	260.83
171	रेगलीटेंग	असम	318.79
172	रूकोंग	असम	104.57
173	रूगमट्टी	असम	408.36
174	रूगागोरा जे.	असम	369.69
175	रूंगाजोन ते	असम	623.01
176	रूतोनपोरा ते	असम	792.61
177	रूपाजुली ते	असम	368.14
178	रूपाए टी एस्टेट	असम	753.85
179	रूंगागोरा	असम	480.28
180	रहमान नागर	असम	119.19
181	रामपोर ते	असम	360.12
182	राधेश्याम टी एस्टेट	असम	19.74
183	रजा अल्ली	असम	282.25
184	रामजी मोहन	असम	27.02
185	राजगढ़	असम	275.33
186	रेंगमा	असम	79.12
187	राधारानी	असम	145.18
188	रजाबाड़ी ते	असम	107.60
189	रंजना	असम	50.86
190	रामकोंग	असम	200.95
191	रमानुगर	असम	105.04
192	रंगसाली	असम	14.98
193	राबिया तेई	असम	50.76
194	राजारामपुर	असम	23.50
195	रेंगोलो ते	असम	42.53
196	राज़ बैरी टी एस्टेट	असम	138.08
197	राजमाई टी एस्टेट	असम	486.46

198	रतनपुर ते	असम	171.75
199	रंगचल्ली	असम	41.16
200	रायढंग	असम	94.89
201	पानीटौला टी एस्टेट	असम	692.40
202	परसुराम (दक्षिण) टी एस्टेट	असम	29.43
203	परसुराम (उत्तर) टी एस्टेट	असम	39.43
204	पडुमनि	असम	51.70
205	पैनोराइ ते	असम	412.30
206	ओआर्टींग टी एस्टेट	असम	147.83
207	ओंरगाजुली	असम	721.09
208	ओरंग	असम	388.31
209	पाथेचेरा टी एस्टेट	असम	294.49
210	पैलोरबॉन्ड	असम	681.09
211	पाथेमेरा टी एस्टेट	असम	433.06
212	परबतीपुर	असम	45.73
213	रग्ना टी एस्टेट	असम	958.41
214	परबतीपुर	असम	82.90
215	पभोजन ते	असम	95.63
216	पदम	असम	17.00
217	पाथिनी टी एस्टेट	असम	810.83
218	पटैलिपम टी एस्टेट	असम	362.77
219	पनबरी	असम	432.21
220	पाभोई	असम	448.52
221	पटकाई	असम	29.00
222	प्रताभधुर टी एस्टेट	असम	693.76
223	पेंगड़ी	असम	553.74
224	फकेबाड़ी	असम	110.00
225	फुलवारी	असम	902.23
226	फिल्लोबारी	असम	426.97
227	औगुरिजन	असम	48.52
228	पिपराटोली टी एस्टेट	असम	149.64
229	पोलो ते	असम	332.14
230	पवई	असम	937.44
231	पुरषोत्तम	असम	33.19
232	जॉयकटेले टी एस्टेट	असम	373.37
233	जोगीभेटा टी एस्टेट	असम	146.53
234	मिलोकाजन	असम	999.45
235	नई परबोतीपुर	असम	120.93
236	न्यू सदासिवा	असम	72.91
237	नीतिनगर ते	असम	28.66

238	नेधरीटींग	असम	607.70
239	न्यू सोनवाल टी एस्टेट	असम	123.26
240	न्यू समागुडी	असम	73.92
241	मजिदपुर (ए) भाग-II टी एस्टेट	असम	27.28
242	न्यूपुरबारी	असम	242.15
243	मुकुले	असम	15.56
244	मुट्टक	असम	336.70
245	मलचढ़बाग	असम	75.21
246	मुरलीपुनी ते	असम	336.17
247	मुतरापुर ते	असम	743.32
248	मुकताबारी टी एस्टेट	असम	96.90
249	निलमोनी	असम	259.22
250	नीलगिरि टी एस्टेट	असम	34.00
251	निरजा टी एस्टेट	असम	21.90
252	नीलपुर	असम	141.57
253	निर्मला ते	असम	258.64
254	नीलिमा	असम	86.96
255	उत्तर बोरसाइकोटा टी एस्टेट सं. 2	असम	23.07
256	नोनी टी एस्टेट	असम	532.90
257	नुरवाड़ी ते	असम	160.06
258	नोकिया टी एस्टेट	असम	337.42
259	मनोजकुंज टी एस्टेट	असम	45.17
260	नोनिपारा टी गार्डेन	असम	684.62
261	नुढवा ते	असम	256.22
262	नुमालीधुर	असम	572.24
263	नेइजोंग ते	असम	104.50
264	एनवाईए गोगरा ते	असम	642.62
265	क्रेगपार्क ते	असम	307.06
266	धानका टी एस्टेट	असम	7.00
267	दुमनी टी एस्टेट	असम	774.42
268	दुलुग्राम ते	असम	263.72
269	दायापोर ते	असम	483.98
270	डोलो ते	असम	831.77
271	दुलिया टी एस्टेट	असम	53.49
272	दोयोंग टी एस्टेट	असम	424.56
273	दोलागुरी टी एस्टेट	असम	417.21
274	डोरिया टी एस्टेट	असम	638.20
275	दुलाहाट टी एस्टेट	असम	526.25
276	दुमुरदुलुंग	असम	656.72
277	उफलिया	असम	371.63

278	दुलिबाम टी एस्टेट	असम	172.38
279	दुर्गापुर टी एस्टेट	असम	48.23
280	दुकेंहेगड़ा टी एस्टेट	असम	445.52
281	दुकालिगिया टी एस्टेट	असम	710.83
282	दुर्गाबरी	असम	31.05
283	डबलिंग ते	असम	504.49
284	दुर्जनगर ते	असम	49.82
285	दुल्लाबचेरा ते	असम	1042.31
286	दुब्बा	असम	140.08
287	दुफ्फलधुर ते	असम	712.71
288	दुरंग	असम	392.77
289	दुमरा टी एस्टेट	असम	555.36
290	धोलिया टी गार्डेन	असम	797.06
291	धनसेरा टी एस्टेट	असम	38.74
292	धोनतोलिया	असम	48.47
293	धेनदाई ते	असम	372.22
294	दुलादेंग ते	असम	680.39
295	धेराई	असम	180.75
296	धुब्ली	असम	238.36
297	धोनजन टी एस्टेट	असम	19.39
298	धेलाखात टी एस्टेट	असम	360.50
299	धोएदाम टी एस्टेट	असम	886.33
300	धोल्ला टी एस्टेट	असम	221.29
301	धुनसेरी	असम	623.96
302	दीलवुटा ते	असम	315.94
303	डेली टी एस्टेट	असम	271.52
304	दीरोइबाम टी एस्टेट	असम	211.61
305	दिराई टी एस्टेट	असम	707.74
306	दिनजोए और महाबिरबारी टी एस्टेट	असम	191.37
307	दीरीयल टी एस्टेट	असम	609.18
308	दिकोम	असम	650.31
309	दिकसम टी एस्टेट	असम	128.21
310	दीफ्फलु टी एस्टेट	असम	491.34
311	दीघलीहला ते	असम	85.74
312	दीरोक टी एस्टेट	असम	818.08
313	दीगलतुसंग टी एस्टेट	असम	624.37
314	दीजान टी एस्टेट	असम	445.16
315	दीमकुसी	असम	439.97
316	डुवारबुंद ते	असम	195.56
317	इथेलवल्ड टी एस्टेट	असम	161.01

318	फेटाबैड टी एस्टेट	असम	348.20
319	फर्नीचर बनाने की व्यवस्था	असम	75.73
320	गैब्रोपुरट टीई	असम	357.94
321	गाटूंगा ते	असम	261.97
322	गेलाके	असम	238.37
323	गंगाबाड़ी टी एस्टेट	असम	124.94
324	धुरोनिया टी एस्टेट	असम	139.00
325	गोगराजन टी एस्टेट	असम	116.43
326	धिल्लीदारी टी एस्टेट	असम	452.74
327	घोरजन	असम	56.48
328	घोरजन	असम	147.43
329	गहिरेली ते	असम	604.42
330	गिल्लापुकरी	असम	258.25
331	गोन्शरी टी एस्टेट	असम	239.32
332	गोविंदपुर टी की दुकान	असम	199.69
333	गोलगट ते	असम	135.82
334	गोरंगा टी एस्टेट	असम	250.76
335	गोहानिबारे ते	असम	40.53
336	गोविंदपुर और बिजलीजान	असम	259.88
337	गुमबिरा	असम	286.00
338	गोपाल कृष्ण टी एस्टेट	असम	404.56
339	गोसायनबाड़ी टी एस्टेट	असम	80.30
340	गोहाएन टी एस्टेट	असम	58.20
341	गुनजंग टी एस्टेट	असम	40.00
342	गाइडिंग	असम	62.76
343	हेट्रिक	असम	343.71
344	हट्टीयब्ली टी एस्टेट	असम	419.73
345	हतीजान टी एस्टेट	असम	170.00
346	हपजन पुरबत तत इतन	असम	275.15
347	हतरवोला टी एस्टेट	असम	12.14
348	हलमपरी टी एस्टेट	असम	374.29
349	हजेंलबैंक टी एस्टेट	असम	338.18
350	हरिशपुर टी एस्टेट	असम	168.52
351	होतीगढ़ टी एस्टेट	असम	28.00
352	हाथीकुली टी एस्टेट	असम	479.57
353	हलमिरा स्टेट टी प्राइवेट लिमिटेड	असम	477.12
354	हैलमिरम टीई	असम	97.00
355	हाउतले टी एस्टेट	असम	480.74
356	हरोचारी टी एस्टेट	असम	151.78
357	हाटकिहारा ते	असम	870.67

358	कृषि टी एस्टेट	असम	561.66
359	हजुआ-खुमताई	असम	838.29
360	हनुमान बाग ते	असम	205.28
361	हरचुरा	असम	471.53
362	हलेम	असम	589.25
363	हातीमारा टी एस्टेट	असम	271.13
364	हवणन टी एस्टेट	असम	980.81
365	हनुमान टी एस्टेट	असम	34.70
366	हत्तीगोड	असम	990.96
367	गीतांनगर टी एस्टेट	असम	20.12
368	गिंगिया	असम	455.37
369	ग्रीनवुड टी एस्टेट	असम	637.85
370	ग्रीन भिव	असम	131.23
371	हिलारा ते	असम	98.34
372	हिमालय टी एस्टेट	असम	40.00
373	हिलिका टी एस्टेट	असम	633.75
374	हिंगरीजन टी एस्टेट	असम	307.86
375	हिंगराजन	असम	95.84
376	हिजजुली	असम	373.98
377	होलोगाजन टी एस्टेट	असम	21.85
378	हलंगोरी टी एस्टेट	असम	404.51
379	हुगराजुली	असम	389.65
380	होलांगगाबी टी एस्टेट	असम	173.00
381	होकोंगुडी टी एस्टेट	असम	750.63
382	हिलीयाके ते	असम	631.79
383	हनुवाल टी एस्टेट	असम	882.02
384	हुकुनपुरी टी एस्टेट	असम	448.14
385	आईडीए टी एस्टेट	असम	40.00
386	जमिरह	असम	368.17
387	जालानगर	असम	213.14
388	जालानगर दक्षिण	असम	89.29
389	जयापुर टी एस्टेट	असम	321.91
390	जमगुरि टी एस्टेट	असम	546.93
391	जगदुआर ते	असम	82.15
392	जादवपुर	असम	53.70
393	जालनगर	असम	194.93
394	जगदम्बा टी एस्टेट	असम	241.04
395	जबोका ते	असम	546.06
396	पडुमनि टी एस्टेट	असम	69.90
397	जालौनिया टी एस्टेट	असम	90.45

398	जलपुलिया टी एस्टेट	असम	301.67
399	इसोभेल टी एस्टेट	असम	573.21
400	इटाखुली टी एस्टेट	असम	407.76
401	इदरागढ़ ते	असम	10.22
402	जटिंगा वैली ते	असम	221.99
403	जेलापोर टी एस्टेट	असम	370.44
404	जिरिलाट ते	असम	342.59
405	जियाजुरी	असम	327.38
406	मुनीरखाब ते	असम	190.31
407	मोकलबाड़ी	असम	545.10
408	मोरन	असम	649.61
409	मंथोला	असम	196.96
410	मोहनबाड़ी	असम	202.59
411	मोहिमा	असम	314.92
412	मोकरूंग ते	असम	253.24
413	मोनोमोए टी एस्टेट	असम	55.89
414	मोआबुंडा प्रभाग (बेहोरा टी एस्टेट)	असम	345.52
415	मॉर्नी टी एस्टेट	असम	443.71
416	मोहोकटी टी एस्टेट	असम	353.35
417	मोदीनगर ते	असम	221.43
418	मोर टी एस्टेट	असम	29.27
419	मोनाबरी	असम	1161.64
420	मोनमोहिनीपुर	असम	403.76
421	नागरीजुली टी एस्टेट	असम	604.62
422	नाहोरकुतिया	असम	261.82
423	नामरूप	असम	404.90
424	नंदनवन टी एस्टेट	असम	153.75
425	नामसंग टी एस्टेट	असम	309.06
426	नहोरतोली ते	असम	470.54
427	नंदापुर	असम	35.00
428	नहोबाड़ी टी एस्टेट	असम	157.39
429	नहोरजन ते	असम	688.24
430	नरसींगपुर ते	असम	417.52
431	नागनीजन	असम	411.16
432	नारायणपुर और भवानीपुर	असम	191.92
433	नमबुरांदी ते	असम	492.66
434	नागाहाट ते	असम	73.87
435	नामदान	असम	46.50
436	नापुक ते	असम	623.34
437	नाहोरानी	असम	721.01

438	नारायणपुर	असम	540.68
439	नेलानी टी एस्टेट	असम	474.40
440	नामदान	असम	731.29
441	महादेवबाड़ी	असम	105.68
442	मानकोट्टा	असम	228.28
443	मंदारखत	असम	194.22
444	माईजोंग टी एस्टेट	असम	148.20
445	मणि	असम	47.35
446	मारंगी	असम	267.70
447	महालक्ष्मी टी एस्टेट	असम	26.96
448	मनीपुर ते	असम	596.66
449	मधोपुर	असम	133.84
450	मां सुरजी	असम	29.37
451	मदनपुर ते	असम	169.50
452	मानिकानगर ते	असम	145.15
453	मधुपुर	असम	173.57
454	मतीपहाड़	असम	93.44
455	रूपानीमति टी संयंत्र प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड	असम	55.65
456	मदोरा ते	असम	40.00
457	मार्टिचेरा ते	असम	318.57
458	महावीर	असम	90.94
459	माईजन ते	असम	394.06
460	मनाबाड़ी ते	असम	118.29
461	मौढ टी एस्टेट	असम	154.16
462	मधुटींग टी एस्टेट	असम	349.71
463	मेधुवन	असम	182.91
464	महाबीरी	असम	99.09
465	मनोहारी	असम	247.31
466	मंगलम ते	असम	117.99
467	मजीदपुर बी टी गर्डन	असम	21.89
468	मंजुश्री ते	असम	403.38
469	मकेपुर टी एस्टेट	असम	688.25
470	मैदोरी	असम	199.86
471	मस्करा टी एस्टेट	असम	44.71
472	मजुतीपुर	असम	637.15
473	महालक्ष्मी टी एस्टेट	असम	331.96
474	मनोबाग	असम	294.43
475	मरधेरिता ते	असम	626.29
476	मनोहापुर टी एस्टेट	असम	59.50
477	महकाली टी एस्टेट	असम	601.77

478	मालिरमपुर	असम	61.47
479	मंगलम	असम	19.00
480	मानखोवा	असम	155.83
481	मजुली	असम	457.18
482	मजबत	असम	356.62
483	लंगराई	असम	226.59
484	लेपेटकेट्टा	असम	424.65
485	लेटेकुजन	असम	224.69
486	लेगरी	असम	147.08
487	लेडो ते	असम	410.62
488	कुन्छापोर ते	असम	248.89
489	कुहुम	असम	122.96
490	कुवरीबाड़ी टी एस्टेट	असम	59.43
491	कोनोकोर डलीम टी एस्टेट	असम	242.98
492	लिगरीपुकरी टी एस्टेट	असम	434.46
493	टलिबिगुडी टी एस्टेट	असम	383.62
494	लोहोपीहिया टी एस्टेट	असम	216.81
495	लोंगएई ते	असम	737.25
496	लुंगसोंग ते	असम	519.78
497	खुवांग	असम	385.33
498	खरजन टी एस्टेट	असम	662.10
499	खनीकर	असम	100.16
500	रवोना ते	असम	472.17
501	खनजन टी एस्टेट	असम	79.34
502	केथॉन ते	असम	18.37
503	खोनिगिंया टी एस्टेट	असम	469.12
504	खोना ते	असम	106.77
505	खोना ते	असम	178.68
506	खेटोजन	असम	101.89
507	खोबोंग टी एस्टेट	असम	1080.90
508	खतंगपानी	असम	221.20
509	किसनेस	असम	10.37
510	कृष्णाकाली टी एस्टेट	असम	172.71
511	कृष्ण ते	असम	18.15
512	कृष्णाबिहारी टी एस्टेट	असम	148.56
513	कृष्ण सुशोविनी	असम	79.40
514	लार्सिंगह ते	असम	440.42
515	लाबाक	असम	482.40
516	लखिपोर	असम	290.15
517	लहंगराजन	असम	356.75

518	लाहौलबारी	असम	152.93
519	लटकुजन ते	असम	788.91
520	ललामुख टी एस्टेट	असम	604.01
521	ललचेरा	असम	394.17
522	लखीबाड़ी ते	असम	34.34
523	लहोरीजन और निर्मल कुमार	असम	183.09
524	लकीली टी	असम	17.29
525	लखमीजन टी एस्टेट	असम	469.19
526	लएमोजन	असम	77.81
527	लंकाशी टी एस्टेट	असम	185.57
528	लम्बरबी	असम	370.89
529	बिहुबाड़ी टी एस्टेट	असम	144.92
530	माजिदपुर टी गर्डन	असम	27.28
531	केटेला टी एस्टेट	असम	214.81
532	केसागुड़ी	असम	620.17
533	केसांगुड़ी	असम	59.48
534	कुपाहरी टी एस्टेट	असम	18.10
535	धुल्ली टी बनाने	असम	767.61
536	कम्बोर टी एस्टेट	असम	848.50
537	कोपाटी	असम	557.02
538	कोरंगानी	असम	206.30
539	कोपीली ते	असम	200.00
540	कुमताई	असम	1125.33
541	कोया टी एस्टेट	असम	553.55
542	मोहम्मरा इकाई-II, देखारी टी एस्टेट, सी/ओ मयुर स्पलांटेशन	असम	131.23
543	कोतालगुडी ते	असम	543.90
544	कोकराझार ते	असम	475.57
545	कोइलमारी टी एस्टेट	असम	854.18
546	कोंडली	असम	727.94
547	कोलियाबुरे टी एस्टेट	असम	367.06
548	कोलकाता टी एस्टेट	असम	60.74
549	कॉलोनी ते	असम	449.82
550	कुमसुंग	असम	717.93
551	कोनापाथर	असम	227.43
552	नहोरबी टी एस्टेट	असम	656.55
553	कमारघा चाय बागीचा	असम	11.00
554	रानी टी एस्टेट	असम	49.02
555	त्रिवेणी टी एस्टेट	असम	22.00
556	केन्दुगुडी	असम	318.10

557	कोबिदेन टी एस्टेट	असम	882.84
558	न्यू तिमांनहाबी	असम	75.48
559	कचालगुडी	असम	196.87
560	कंजिबारी टी एस्टेट	असम	35.00
561	कठौनी	असम	156.38
562	ककडोंगआ टी राज्य	असम	127.64
563	कमालपुर	असम	89.44
564	कमरबंद टी एस्टेट	असम	208.98
565	काकाजन	असम	909.31
566	कंसोजन	असम	255.84
567	कलिनगर ते	असम	247.52
568	कानू	असम	872.36
569	कैलाटापुर ते	असम	39.68
570	कल्लीनेचेर्रा	असम	275.12
571	कैलिन ते	असम	462.87
572	श्री जोया टी बागान प्राइवेट लिमिटेड	असम	64.36
573	भागवती टी एस्टेट	असम	64.78
574	बरदुआर टी एस्टेट	असम	179.95
575	खोरील टी एस्टेट	असम	40.00
576	हेलेनबाड़ी टी एस्टेट	असम	66.72
577	जटलीबाड़ी	असम	524.49
578	कामखयाबाड़ी	असम	148.89
579	कैलाशपुर टी एस्टेट	असम	80.62
580	कालियापानी	असम	72.20
581	प्रकाश प्रतिष्ठान टी एस्टेट	असम	15.84
582	कचारीगांव टी एस्टेट	असम	450.93
583	मेनेको टी एस्टेट	असम	328.98
584	मेघा	असम	109.36
585	मसमरा	असम	467.85
586	मेथोनी ते	असम	461.64
587	मेलेंग टी एस्टेट	असम	772.76
588	मेजेंगाह	असम	87.55
589	लुकावा ते	असम	347.84
590	अभोएजन टी एस्टेट	असम	180.14
591	अचबम	असम	428.83
592	अमरनगर टी एस्टेट	असम	179.18
593	अमूल्याबाड़ी टी एस्टेट	असम	63.00
594	अमूलगढ़ी	असम	62.23
595	अमचोंग टी एस्टेट	असम	294.40
596	अंबा टी एस्टेट	असम	16.80

597	अमसाई टी एस्टेट	असम	221.57
598	अम्लकुई टी एस्टेट	असम	617.98
599	अमगुरी	असम	927.85
600	अम्बिका टी एस्टेट	असम	30.25
601	अंबिका	असम	95.34
602	एनाखल ते	असम	674.74
603	अग्रवाल	असम	30.00
604	अहमेदी टी एस्टेट	असम	12.00
605	एदोबारी टी एस्टेट	असम	198.05
606	ऐदोपुटबुरी टी एस्टेट	असम	104.21
607	अड्डाबाड़ी	असम	723.85
608	अखोईदेस्सा टी एस्टेट	असम	38.72
609	एलीनी और नारायणधर	असम	164.00
610	अलीनुर प्लांट प्राइवेट लिमिटेड	असम	41.57
611	अलकनंदा टी एस्टेट	असम	100.56
612	अनंदबाड़ी टी एस्टेट	असम	85.40
613	अनंदपुर	असम	88.26
614	आनंद टी एस्टेट	असम	149.56
615	अनानंदबाग टी एस्टेट	असम	282.75
616	अनंदापुर टी एस्टेट	असम	4.45
617	अपर्णा टी एस्टेट	असम	20.00
618	अरकुट्टीपुर ते	असम	271.62
619	अरूणश्री टी एस्टेट	असम	14.00
620	अरूण	असम	356.96
621	असीतपुर टी एस्टेट	असम	105.71
622	अथाबादी टी एस्टेट	असम	42.99
623	अटाबारी टी एस्टेट	असम	401.44
624	अटलपुखट्टी	असम	9.26
625	अट्टारीखत	असम	522.79
626	बजरंगपुर	असम	330.51
627	बालचेर्रा ते	असम	345.78
628	बरगरा	असम	286.28
629	बलीमरा टी एस्टेट	असम	138.31
630	बांधबाड़ा	असम	280.50
631	बालिजन (एच) टी एस्टेट	असम	439.12
632	बासमतिया टी एस्टेट	असम	275.91
633	बगरोडिया टी की दुकान	असम	22.11
634	बरबरी टी एस्टेट	असम	53.29
635	बरबरी टी एस्टेट	असम	25.60
636	बातीजन नॉर्थ टी एस्टेट	असम	780.13

637	बातिजन टी एस्टेट	असम	83.15
638	बनवारीपुर ते	असम	35.00
639	बंगशोंग टी एस्टेट	असम	82.87
640	बहानी टी एस्टेट	असम	110.93
641	बरुहाजन ते	असम	18.80
642	बामुनीबाड़ी	असम	44.25
643	बनसपती टी एस्टेट	असम	53.51
644	बारपाथर टी एस्टेट	असम	99.97
645	बैताब्बूल ते	असम	218.26
646	बंगलाबाड़ी टी एस्टेट	असम	300.95
647	बारासाली ते	असम	321.36
648	बनमाली	असम	180.63
649	बामन पुकरी ते	असम	430.44
650	अरूआखत	असम	49.71
651	बरगंग ते	असम	1050.41
652	बाघमरी टी वाला	असम	408.02
653	बमगांव	असम	215.64
654	बजलोनी टी एस्टेट	असम	956.81
655	बहादुर टी एस्टेट	असम	162.57
656	मैजेन टी एस्टेट	असम	84.35
657	बागबरी टी एस्टेट	असम	46.55
658	बाघजन टी एस्टेट	असम	607.30
659	बजरंगपुर	असम	75.75
660	ईली टी एस्टेट	असम	436.93
661	बहीपुकरी	असम	607.85
662	बनोदनगर ते	असम	145.15
663	बीहीटींग टी एस्टेट फैक्टरी	असम	163.52
664	बेलबारी टी एस्टेट	असम	17.18
665	बेहोरा टी एस्टेट	असम	698.77
666	बेहुबार ते	असम	68.33
667	बेहुबोर टी एस्टेट	असम	341.34
668	बेजबडुआ टी एस्टेट	असम	17.34
669	वेहाली टी एस्टेट	असम	615.02
670	बेलसेरी ते	असम	434.39
671	बीसाकोपी टी एस्टेट	असम	692.74
672	बटजन टी एस्टेट	असम	481.70
673	बेटीबाड़ी ते	असम	456.22
674	एलाबाड़ी टी एस्टेट	असम	298.19
675	एजीजबाग टी एस्टेट	असम	190.02
676	भुबंदर टी एस्टेट	असम	525.85

677	भुवनवेली टी एस्टेट	असम	404.00
678	भजौनी टी एस्टेट	असम	34.89
679	भामुन टी एस्टेट	असम	306.67
680	भारतीय टी एस्टेट	असम	25.52
681	बोरोकि ते	असम	477.22
682	बोरोजालिंगह ते	असम	507.30
683	बोकेल टी एस्टेट	असम	764.82
684	बोरबोरूआ टी एस्टेट	असम	210.33
685	बोरकातोनी टीई	असम	106.60
686	बोरटिंग टी एस्टेट	असम	300.79
687	बोर्सपोरी टी एस्टेट	असम	770.84
688	बोगीदाला टी एस्टेट (201 से लॉकआउट)	असम	337.32
689	बांरजन टी एस्टेट	असम	547.34
690	बोकाखत टी एस्टेट	असम	304.39
691	बोरभोटा टी एस्टेट	असम	40.00
692	बोरहल्ला टी एस्टेट	असम	277.59
693	बोईसंभाताI ते	असम	488.84
694	बोसबरी टी एस्टेट	असम	146.35
695	बोईदेहा ते	असम	208.68
696	बकोहोला	असम	250.53
697	बोल्मा टी एस्टेट	असम	161.98
698	बोगीजन टी एस्टेट	असम	149.44
699	बोकाजन टी एस्टेट	असम	0.00
700	बोरदोबम टी एस्टेट	असम	117.37
701	बोरपानी	असम	133.14
702	बोरही ते	असम	340.79
703	बोर्पात्रा टी गार्डेन	असम	566.64
704	बोर्सीलाह	असम	690.23
705	बोरबम टी गार्डेन	असम	948.56
706	बोरसीमोन ते	असम	137.68
707	बोरहट टी एस्टेट	असम	561.17
708	बोरगॉन ते	असम	159.84
709	बोरजुली ते	असम	565.66
710	बोरचोला ते	असम	181.56
711	बोरार्ड ते	असम	412.88
712	बरमाह जन	असम	470.88
713	बोर भोटा टी एस्टेट	असम	133.59
714	बोरदबी टी एस्टेट	असम	920.95
715	बोरदुर्बा टी एस्टेट	असम	859.68
716	बोरेंगजुली	असम	633.71

717	भगतराम टी एस्टेट	असम	28.30
718	भगवान ते	असम	98.14
719	भोगादाबरी ते	असम	45.09
720	भवानी टी एस्टेट	असम	17.40
721	भुगरोधाट	असम	531.61
722	भुयनरवत	असम	56.56
723	भोलगुरि ते	असम	74.16
724	भेरजन टी एस्टेट	असम	16.27
725	भुटीचांग टी एस्टेट	असम	617.47
726	भेरगांव ते	असम	175.60
727	बोरझारा टी एस्टेट	असम	473.57
728	विक्रमपुर ते	असम	530.40
729	बिनाकंडी ते	असम	603.45
730	बिपिनबाग टी एस्टेट	असम	60.20
731	विधानगर ते	असम	282.07
732	बेमोलापुर	असम	174.30
733	बिशुनपुर ते	असम	77.09
734	बिजवीबाड़ी टी एस्टेट	असम	129.62
735	बरटोल ते	असम	679.52
736	बुरिवयल टी एस्टेट	असम	595.78
737	बुर्नी ब्रेस ते	असम	449.97
738	बुन्दुकमारा ते	असम	248.68
739	बुरीपहाड़	असम	216.90
740	बुदलाबेटा टी एस्टेट	असम	1027.15
741	बुदलापाड़ा टी एस्टेट	असम	762.50
742	चेरदीउ पर्बत ते	असम	498.51
743	चारदवार	असम	230.22
744	छोटा तिंगड़ाए टी एस्टेट	असम	162.50
745	चार्ली टी एवं टी सीड एस्टेट	असम	59.59
746	चांदमारी टी एस्टेट	असम	184.62
747	चौखानी टी एवं टी सीड	असम	146.96
748	चंदन ते	असम	179.89
749	चंडीघाट ते	असम	577.65
750	चिकामती	असम	195.49
751	चोपबाड़ी टी एस्टेट	असम	613.97
752	चपर	असम	397.50
753	चाउडंग टी एस्टेट	असम	39.93
754	चुबवा टी एस्टेट	असम	766.04
755	चांदीपुर ते	असम	258.15
756	चैनीजन	असम	111.68

757	चपजन	असम	29.13
758	चेतीबाड़ी	असम	42.67
759	चारगोला वेली ते	असम	46.00
760	चारगोला ते	असम	140.00
761	चापानाला टी एस्टेट	असम	82.00
762	काटो टी एवं सीड	असम	41.03
763	ब्रम्हजन टी एस्टेट	असम	105.30
764	सीनाभारत टी एस्टेट	असम	652.98
765	सीनातोलिया टी गार्डेन	असम	593.68
766	कुमबरेग्राम	असम	375.79
767	कोसीपोर ते	असम	208.55
768	कोर्रामोर	असम	492.38
769	कटलाचेरा ते	असम	119.00
770	दैसाजन टी एस्टेट	असम	405.14
771	दलोजन ते	असम	116.16
772	दहीनगेपर	असम	367.23
773	दमायांती टी एस्टेट	असम	13.15
774	दलोबाड़ी टी एस्टेट	असम	287.47
775	दयमुखिया टी एस्टेट	असम	619.54
776	डेगूबेर ते	असम	140.39
777	देरबी ते	असम	567.57
778	देवन ते	असम	725.88
779	देसम टी एस्टेट	असम	327.71
780	एस्सेल जैव अनुसंधान संयंत्र (देखारी)	असम	50.61
781	देवेंद्र ते	असम	60.00
782	देहा	असम	265.31
783	देसाए ते	असम	270.40
784	देवपानी टी एस्टेट	असम	379.01
785	देजु टी एस्टेट	असम	570.08
786	देवपानी टी ते	असम	331.53
787	देवपानी टी एस्टेट	असम	129.10
788	दी पासिंग टी एस्टेट	असम	355.89
789	देकियाजुली ते	असम	663.24
790	देकोराई ते	असम	901.68
791	देवेहल टी एस्टेट	असम	494.70
792	देहिंग टी एस्टेट	असम	498.73
793	देयामुली टी एस्टेट	असम	803.24
794	बदामी देव टी एस्टेट	बिहार	24.00
795	रूचि I टी एस्टेट	बिहार	27.74
796	ज्योति टी एस्टेट	बिहार	11.31

797	मोमिता टी एस्टेट	बिहार	12.14
798	सावित्रि बागान	बिहार	20.24
799	रामग्रीन मल्टीवेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	बिहार	11.94
800	माउंट सोमरेस्ट और चाम्बी	हिमाचल प्रदेश	24.00
801	सी एस के हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (सीएसकेएचपीकेवी पार्ट एरिया 01 हॉल्टाटे)	हिमाचल प्रदेश	44.00
802	हूडल	हिमाचल प्रदेश	28.20
803	बनुरी टी एक्सपेरि अंटल फार्म सीएसआईआर आईएचबीटी पालमपुर	हिमाचल प्रदेश	11.00
804	बैजनाथ (बैजनाथ टी एस्टेट) प्रा0लि0)	हिमाचल प्रदेश	123.79
805	बुंदला टी एस्टेट भाग - ।।	हिमाचल प्रदेश	25.08
806	बुंदला (ए/सी बीबीएल बुतैल)	हिमाचल प्रदेश	42.00
807	बर्न बारी टी एस्टेट	हिमाचल प्रदेश	32.00
808	वाह टी एस्टेट	हिमाचल प्रदेश	104.00
809	टोवा टी एस्टेट	हिमाचल प्रदेश	50.03
810	पटियाला टी एस्टेट (पार्ट- I)	हिमाचल प्रदेश	17.75
811	सुबाधना बुटेल	हिमाचल प्रदेश	12.92
812	वाईट हेवण टी	हिमाचल प्रदेश	36.00
813	पटियाला टी एस्टेट (भाग- II)	हिमाचल प्रदेश	64.00
814	ह्नोरा टी एस्टेट	हिमाचल प्रदेश	12.49
815	अलगेश्वर एस्टेट्स लिमिटेड	कर्नाटक	199.27
816	सिद्दारबान एस्टेट	कर्नाटक	24.40
817	देवो प्फ्लांटेशन और उद्योग लिमिटेड।	कर्नाटक	166.41
818	क्लासिक टी एस्टेट	कर्नाटक	87.00
819	बालेहॉनपुर टी एस्टेट	कर्नाटक	223.50
820	मूर्तिखान एस्टेट	कर्नाटक	74.55
821	जूंकटोली टी और उद्योग लिमिटेड	कर्नाटक	264.40
822	कोप्पा एस्टेट ए, बी, सी, डी	कर्नाटक	58.00
823	कडामेन एस्टेट कंपनी	कर्नाटक	396.00
824	दीवान बहादुर एस एल मठियास एंड संस / केलागुर कॉफी और टी एस्टेट	कर्नाटक	150.24
825	माविनकेर एस्टेट	कर्नाटक	62.19
826	होसनाला एस्टेट	कर्नाटक	24.28
827	ग्लेनलॉरना एस्टेट	कर्नाटक	244.92
828	ग्लेनलॉरना टी परियोजना	कर्नाटक	55.90
829	क्वार्ड हिटलॉ एस्टेट समूह	कर्नाटक	126.68
830	सम्पीगेखान एस्टेट	कर्नाटक	14.00
831	सेमनीवेली एस्टेट	केरल	226.27
832	सेंटीनेल रॉक टी एस्टेट	केरल	505.24
833	ट्रूरमूला एस्टेट	केरल	142.75

834	पोद्दार प्लांटेशन-रिपन एस्टेट	केरल	459.30
835	प्रियदर्शनी टी एस्टेट	केरल	359.00
836	रजिया ग्रीन्स	केरल	24.63
837	कोर्ट केस के अधीन अनुउत्तरित	केरल	184.09
838	नेल्लीकाई एस्टेट	केरल	181.51
839	न्यामकाड एस्टेट	केरल	1066.34
840	नल्लाअट्टनी एस्टेट	केरल	1407.72
841	मंजुमलय टी एस्टेट	केरल	272.36
842	POABS एस्टेट (पी) लिमिटेड	केरल	116.74
843	पोनमुडी एस्टेट	केरल	158.29
844	लोकल एस्टेट	केरल	418.41
845	पूर्णिमाम और कोल्हामेडुद एस्टेट	केरल	356.44
846	पेरियार कनमाता एस्टेट	केरल	200.91
847	पेंशुरस्ट एस्टेट	केरल	130.10
848	पेरिटानियल एस्टेट	केरल	344.59
849	पेरिया पेक टी एस्टेट (प्रा0) लि	केरल	34.22
850	पैनियर एस्टेट	केरल	300.54
851	पंम्बनार एस्टेट	केरल	225.06
852	पेटुमाये टी की थाली	केरल	232.26
853	पासुमुलय एस्टेट	केरल	198.31
854	पासुपराई एस्टेट	केरल	193.42
855	पैटुमूडी एस्टेट	केरल	20.00
856	एल्स्टान टी एस्टेट	केरल	221.49
857	ग्लेनमेरी एस्टेट	केरल	382.53
858	गुडराले एस्टेट	केरल	1408.62
859	गुंडमलय एस्टेट	केरल	1473.33
860	ग्रेनाइट एस्टेट	केरल	210.61
861	हेलेबुरिया एस्टेट	केरल	248.67
862	जैस्सी टी एस्टेट	केरल	211.70
863	माउंट एस्टेट	केरल	118.11
864	मूंगालार टी एस्टेट	केरल	703.14
865	माडुपट्टी एस्टेट	केरल	1139.28
866	मवालारू एस्टेट	केरल	301.01
867	मालाकीपराई एस्टेट	केरल	529.76
868	हाइक्रेस्ट	केरल	14.50
869	लॉकार्ट एस्टेट	केरल	386.32
870	लद्रुम एस्टेट	केरल	288.94
871	कुदुकर्णम एस्टेट	केरल	64.41
872	कुरूचेरमाला टी एस्टेट	केरल	183.93
873	लेटचमी एस्टेट	केरल	1058.11

874	कोलीनामा एस्टेट	केरल	250.03
875	कोट्टमलाई टी एस्टेट	केरल	391.72
876	इनवर्ल्ड टी एस्टेट-पोनमुडी	केरल	124.00
877	करिमथुरूवी एस्टेट	केरल	189.62
878	मैथनथु ताई इस्टेट	केरल	52.86
879	मर्किस्टन एस्टेट	केरल	184.50
880	एकेनकॉयल एस्टेट	केरल	124.21
881	अचूर टी एस्टेट	केरल	649.11
882	रोहित और पुकुलम एस्टेट (रतन प्लांटेशन)	केरल	195.85
883	अंबाना द एस्टेट	केरल	422.65
884	एशले एस्टेट	केरल	165.69
885	आशियाना ग्रीन्स	केरल	50.87
886	आर्कटिक एस्टेट	केरल	513.82
887	आरापेटा टी एस्टेट	केरल	731.09
888	अलमपल्ली एस्टेट	केरल	141.71
889	ए के टी एस्टेट	केरल	29.00
890	ब्रेमोर एस्टेट	केरल	68.90
891	कराडी गुडी एस्टेट	केरल	315.42
892	चुंडाबुराई एस्टेट	केरल	1380.95
893	चिदम्बरम टी एस्टेट	केरल	51.93
894	चिनार एस्टेट	केरल	152.43
895	चुराकुलम टी एस्टेट (प्रा0) लिमिटेड	केरल	203.69
896	चींथालर/ पीराम्ड और लोन ट्री	केरल	679.71
897	चंदवारणम एस्टेट	केरल	46.77
898	चंद्रामलाई एस्टेट	केरल	202.00
899	चेराकारा टी एस्टेट	केरल	338.88
900	चुलिका टी एस्टेट (राजगिरी रबड़ एवं उत्पादन कॉ.लिमिटेड)	केरल	140.39
901	फातिमा फार्म प्रा0 लिमिटेड	केरल	269.78
902	चुंडेल टी की थाली	केरल	265.88
903	चेलॉट एस्टेट	केरल	110.21
904	कॉटनड टी एस्टेट	केरल	46.39
905	बोनामी टी एस्टेट	केरल	285.79
906	बोनाकॉर्ड एस्टेट	केरल	378.00
907	सिरूवणी टी एस्टेट	केरल	168.48
908	वालाराडी टी एस्टेट	केरल	516.39
909	वायनाड टी योजना परियोजना	केरल	97.09
910	वाघमन टी गार्डन	केरल	352.96
911	वेंगाट्टा एस्टेट	केरल	110.00
912	टायफॉर्ड एस्टेट	केरल	513.50
913	अपर सुरीनल्ले	केरल	653.69

914	लक्ष्मीकॉइल एस्टेट	केरल	45.47
915	स्टेगब्रूक एस्टेट	केरल	232.40
916	टंगमाउले एस्टेट	केरल	228.65
917	थेंगाकाल एस्टेट	केरल	232.28
918	टस हिल प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड, पुल्लुपारा डिवीजन	केरल	33.33
919	तालायर, कराईगलामण्ड, चेट्टामानर और पंबनमलाई एस्टेट्स	केरल	437.69
920	टाटामाला टी एस्टेट	केरल	214.10
921	आयशा प्लांटेशन, टाटामाला टी एस्टेट	केरल	68.32
922	टालापोया टी एस्टेट	केरल	347.00
923	इंजिकाडु टी एस्टेट	केरल	195.26
924	जीरीबम टी एस्टेट	मैनपुर	312.44
925	तारा	मेघालय	7.59
926	एंडरसन टी एस्टेट	मेघालय	89.40
927	लियानसियम टी एस्टेट	मिजोरम	15.00
928	लीफी टी एस्टेट	नगालैंड	200.00
929	टेमी टी एस्टेट्स	सिक्किम	177.64
930	टेरेस एस्टेट	तमिलनाडु	238.71
931	नडुवतम टी डिवीजन	तमिलनाडु	431.84
932	एम. गीतागोवरी	तमिलनाडु	13.78
933	थयामुडी एस्टेट	तमिलनाडु	432.00
934	ननसच टी एस्टेट	तमिलनाडु	356.24
935	संयुक्त निलगिरी टी एस्टेट कॉ. लिमिटेड (अल्लाडा,कोराकुंढा, चमराज, देवाबेट्टा)	तमिलनाडु	814.22
936	थीयासोला एस्टेट	तमिलनाडु	190.00
937	टी. गोपीनाथ	तमिलनाडु	15.95
938	सुल्ताना एस्टेट	तमिलनाडु	60.34
939	स्वामी एंड स्वामी प्लांटेशन प्रा0 लिमिटेड	तमिलनाडु	18.26
940	टी. सीवापकियम	तमिलनाडु	11.45
941	लॉसन टी डिवीजन	तमिलनाडु	872.59
942	टेनटी चेरमबडी, चेरनगोडे एंड कोलापल्ली टी डिवीजन	तमिलनाडु	1226.18
943	कोरोमन्नी / द साउथ ट्रवनकॉर प्लांटेशन प्रा0लि0	तमिलनाडु	18.00
944	टेनटी पेनदीयर एंड देवाला टी डिवीजन	तमिलनाडु	888.91
945	नेलियलम टी डिवीजन	तमिलनाडु	332.99
946	सी. शानुमुगनथान एंड कृष्णावेनी	तमिलनाडु	13.70
947	जे. पद्मासुगांती	तमिलनाडु	12.33
948	के. कलाम	तमिलनाडु	12.74
949	आर. नंदकुमार एचयूएफ	तमिलनाडु	13.22
950	ग्रीन टी एस्टेट	तमिलनाडु	197.01

951	स्टानमोर एस्टेट	तमिलनाडु	482.67
952	श्री मुरुगन एस्टेट	तमिलनाडु	146.68
953	सक्सेस एस्टेट	तमिलनाडु	196.90
954	सटन एस्टेट	तमिलनाडु	314.05
955	डॉलफिन टी गार्डन	तमिलनाडु	19.43
956	वुडब्रियर एस्टेट	तमिलनाडु	175.96
957	वेलबेक एस्टेट	तमिलनाडु	105.01
958	वेंचर वेनटवर्थ टी एस्टेट	तमिलनाडु	615.46
959	उपासी टी एक्सपेरिमेंटल फार्म	तमिलनाडु	10.87
960	उपासी टी एक्सपेरिमेंटल फार्म	तमिलनाडु	35.51
961	उदयागिरी एस्टेट	तमिलनाडु	66.80
962	यूरालिकल एस्टेट	तमिलनाडु	429.65
963	वेलोनी एस्टेट	तमिलनाडु	410.89
964	वेल्लामलाई एस्टेट	तमिलनाडु	477.19
965	वेनिअर एस्टेट	तमिलनाडु	456.32
966	एन. उमाप्रियदर्शनी	तमिलनाडु	14.71
967	वेवर्ली एस्टेट – एनईपीसी टी गार्डन	तमिलनाडु	198.40
968	वॉटरफॉल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु	577.25
969	शोलायर	तमिलनाडु	395.79
970	शेकालमुडी एस्टेट	तमिलनाडु	474.50
971	सिंगारा एस्टेट	तमिलनाडु	100.86
972	सिल्वर क्लाउड टी एस्टेट	तमिलनाडु	101.97
973	सीरीकुंद्रा एस्टेट	तमिलनाडु	610.50
974	आरएम.एसटी. रामस्वामी	तमिलनाडु	14.11
975	कोडानद टी एस्टेट	तमिलनाडु	274.18
976	कोटागिरी टी प्रभाग	तमिलनाडु	205.35
977	कोटाडा एस्टेट	तमिलनाडु	356.38
978	कोलूक्कूमलाई टी एस्टेट	तमिलनाडु	81.00
979	कल्लार एस्टेट	तमिलनाडु	293.22
980	कारामलाई एस्टेट	तमिलनाडु	346.68
981	केरबेट्टा एस्टेट सिंडिकेट	तमिलनाडु	141.80
982	पंचुरा एस्टेट	तमिलनाडु	8.09
983	कटारी एस्टेट	तमिलनाडु	255.37
984	बिलिमलाई एस्टेट	तमिलनाडु	37.57
985	कुरुंगुमुडी एस्टेट	तमिलनाडु	105.20
986	लिडिलसडेल एस्टेट	तमिलनाडु	468.25
987	एल. राजेश्वरी	तमिलनाडु	13.24
988	एल अरूणशनकरम्म	तमिलनाडु	14.29
989	किलमेलफॉर्ट एस्टेट	तमिलनाडु	22.27
990	किलकोटागिरी एस्टेट / थीरूमबडी रबड़ कंपनी लिमिटेड	तमिलनाडु	510.24

991	मालांद एस्टेट	तमिलनाडु	15.21
992	मेलूर एस्टेट	तमिलनाडु	160.73
993	मंजूर एस्टेट	तमिलनाडु	48.74
994	मेयफिल्ड टी एस्टेट	तमिलनाडु	308.25
995	मंजूलाई एस्टेट	तमिलनाडु	267.52
996	मनीमटर एस्टेट	तमिलनाडु	305.09
997	बॉबरलैंड एस्टेट	तमिलनाडु	25.28
998	बुचनन एस्टेट	तमिलनाडु	24.31
999	बर्नसाइड टी एस्टेट	तमिलनाडु	165.60
1000	बिलिमलाई एस्टेट IV	तमिलनाडु	13.61
1001	बिलिमलाई एस्टेट- III	तमिलनाडु	16.05
1002	कून्नूर टी एस्टेट	तमिलनाडु	134.00
1003	कून्नूर टी प्रभाग	तमिलनाडु	207.00
1004	कोलाकुंबी टी मैनयूफ्रेक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु	16.16
1005	देवाशोला एस्टेट	तमिलनाडु	151.34
1006	देवाशोला टी एस्टेट	तमिलनाडु	617.36
1007	कारोलियन टी एस्टेट	तमिलनाडु	500.75
1008	बालामोर एस्टेट	तमिलनाडु	117.37
1009	बारवूड टी एस्टेट	तमिलनाडु	101.00
1010	बंगोरम टी एस्टेट	तमिलनाडु	69.50
1011	बेंकल एस्टेट	तमिलनाडु	32.30
1012	बेंगोर्म एस्टेट अनुभाग बी	तमिलनाडु	33.74
1013	अनाईमुडी एस्टेट	तमिलनाडु	424.00
1014	अक्कामलाई एस्टेट	तमिलनाडु	415.61
1015	अडरिले एस्टेट	तमिलनाडु	77.50
1016	अट्टीकुन्ना टी एस्टेट	तमिलनाडु	488.65
1017	अंबल एस्टेट	तमिलनाडु	36.00
1018	एम रेंगास्वामी एचयूएफ	तमिलनाडु	15.00
1019	इंजीपारा एस्टेट	तमिलनाडु	450.94
1020	अय्यरपाडी एस्टेट	तमिलनाडु	312.00
1021	नादूमलाई एस्टेट	तमिलनाडु	268.99
1022	नादूकानी टी एस्टेट	तमिलनाडु	97.00
1023	हल्लाकेरी एस्टेट ए	तमिलनाडु	26.00
1024	हाईफोरेस्ट एस्टेट	तमिलनाडु	249.77
1025	हिलव्यू एस्टेट	तमिलनाडु	16.10
1026	हाईवेज एस्टेट	तमिलनाडु	440.68
1027	ग्लिसडेल फार्म फैक्टरी	तमिलनाडु	10.44
1028	ग्लेनमोरगन एस्टेट	तमिलनाडु	175.85
1029	ग्लेनडेल एस्टेट	तमिलनाडु	350.22
1030	आर. आनंद कुमार एचयूएफ	तमिलनाडु	16.82

1031	ब. मेनाकाकानामामबुजम	तमिलनाडु	17.13
1032	ग्लेनवास एस्टेट	तमिलनाडु	240.18
1033	ग्लेनरॉक एस्टेट	तमिलनाडु	214.89
1034	गुडविल एस्टेट	तमिलनाडु	21.68
1035	गोल्डन टिप एस्टेट	तमिलनाडु	36.37
1036	एमरेल्ड वैली एस्टेट	तमिलनाडु	40.48
1037	सी0 सोंदरगोपाल	तमिलनाडु	13.07
1038	एरिनकाडू एस्टेट	तमिलनाडु	86.81
1039	फार्म टी एस्टेट	तमिलनाडु	36.20
1040	गज़म मुदी एस्टेट	तमिलनाडु	483.00
1041	दुंसांडले एस्टेट	तमिलनाडु	155.00
1042	क्रेगमोर प्लांटेशन (I) प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु	798.23
1043	पचाईमलाई एस्टेट	तमिलनाडु	301.07
1044	पालालाई एस्टेट	तमिलनाडु	405.00
1045	पलानीअप्पा एस्टेट	तमिलनाडु	77.98
1046	पार्कसाइड एस्टेट	तमिलनाडु	263.70
1047	पन्नीमेड एस्टेट	तमिलनाडु	431.03
1048	उथ्थो एस्टेट	तमिलनाडु	213.25
1049	पुतोहटम एस्टेट	तमिलनाडु	149.80
1050	प.बलसुब्रमणियम	तमिलनाडु	15.41
1051	मुकोटू मुडी एस्टेट	तमिलनाडु	524.00
1052	मुरूगल्ली एस्टेट	तमिलनाडु	501.50
1053	न्यू होप एस्टेट	तमिलनाडु	320.30
1054	माउंट स्ट्रॉट - एनईपीसी टी गार्डन	तमिलनाडु	182.00
1055	प्रोस्पेक्ट एस्टेट	तमिलनाडु	389.43
1056	रेड फोर्ट एस्टेट	तमिलनाडु	20.24
1057	आर. थीरूवेनी	तमिलनाडु	18.30
1058	टाइगर वेली एस्टेट	तमिलनाडु	11.00
1059	सी फोर्थ एस्टेट	तमिलनाडु	0.00
1060	सक्ती कॉफी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	तमिलनाडु	75.50
1061	रॉकवुड एस्टेट	तमिलनाडु	439.45
1062	रूउसडोनमुल्लाई टी एस्टेट	तमिलनाडु	181.01
1063	सराला टी एस्टेट (ब्रजेंद्रनगर टी.ई. सहित)	त्रिपुरा	177.20
1064	रंगरंग टी एस्टेट	त्रिपुरा	116.00
1065	रामदुरलाभपुर टी एस्टेट	त्रिपुरा	308.00
1066	रानीबारी टी एस्टेट	त्रिपुरा	478.76
1067	मोहनपुर टी	त्रिपुरा	90.00
1068	मुर्तीचेरा टी एस्टेट	त्रिपुरा	231.00
1069	नॉटिंघचेर्रा टी एस्टेट	त्रिपुरा	54.20
1070	पीयराचेररा टी एस्टेट	त्रिपुरा	209.56

1071	फनीनदरानागर टी एस्टेट	त्रिपुरा	25.50
1072	देवास्थल	त्रिपुरा	72.37
1073	दुर्गाबरी टी एस्टेट	त्रिपुरा	58.51
1074	धर्मनगर टी	त्रिपुरा	133.37
1075	फटीकचेरा टी एस्टेट	त्रिपुरा	226.45
1076	गोलोकपुर टी एस्टेट	त्रिपुरा	188.43
1077	गोपालनगर टी एस्टेट	त्रिपुरा	94.26
1078	हरेंद्रनगर टी एस्टेट	त्रिपुरा	198.92
1079	हलाईचेररा टी एस्टेट	त्रिपुरा	113.46
1080	हरिशंगर टी एस्टेट	त्रिपुरा	206.47
1081	हरिदासपुर टी एस्टेट	त्रिपुरा	26.23
1082	इचुक चा बागान श्रमिक संबया समिति लि0	त्रिपुरा	12.00
1083	हुपलोंगचेरा टी एस्टेट	त्रिपुरा	250.41
1084	जगन्नाथपुर टी एस्टेट	त्रिपुरा	229.83
1085	नरेन्द्रपुर चा बागन	त्रिपुरा	222.97
1086	लुधुवा चा बागान श्रमिक समावेय समिति लि0	त्रिपुरा	95.33
1087	लक्ष्मीलोंगा टी एस्टेट	त्रिपुरा	172.00
1088	मेखलीपारा	त्रिपुरा	182.89
1089	मेगलीबुंध	त्रिपुरा	202.00
1090	अडारणी टी एस्टेट	त्रिपुरा	76.75
1091	बिनोदिनी टी एस्टेट	त्रिपुरा	52.25
1092	ब्रम्हकुंड टी	त्रिपुरा	81.79
1093	दरंगजील्ला चा श्रमिक संभाव्या समिति लि	त्रिपुरा	47.14
1094	महाबीर टी एस्टेट	त्रिपुरा	252.87
1095	मायांजटूकू चा बागान एसएसएस लि	त्रिपुरा	54.80
1096	महेशपुर टी की दुकान	त्रिपुरा	231.31
1097	मचमारा टी एस्टेट	त्रिपुरा	74.08
1098	मालाबटी एस्टेट	त्रिपुरा	26.04
1099	हीराचीरा टी एस्टेट	त्रिपुरा	128.68
1100	सरोजनी टी एस्टेट	त्रिपुरा	56.79
1101	मनुवेली टी एस्टेट	त्रिपुरा	315.56
1102	कृष्णापुर टी एस्टेट	त्रिपुरा	88.40
1103	खोवाई चा बागान श्रमिक समावय समिति	त्रिपुरा	107.69
1104	लीलागढ़ चा बागान श्रमिक समावय समिति	त्रिपुरा	84.34
1105	कालीशासन टी एस्टेट	त्रिपुरा	125.11
1106	कमलसागर टी	त्रिपुरा	107.94
1107	कालाचेरा चा बागान श्रमिक समावय समिति लि0	त्रिपुरा	84.77
1108	कल्याणपुर टी एस्टेट	त्रिपुरा	85.42
1109	कलकालिया टी	त्रिपुरा	20.35
1110	सीमनाचेरा	त्रिपुरा	105.07

1111	तुफानियालोंगा	त्रिपुरा	101.82
1112	सोवा टी एस्टेट	त्रिपुरा	98.00
1113	सोनामुखी टी एस्टेट	त्रिपुरा	68.96
1114	तचाई टी एस्टेट	त्रिपुरा	52.00
1115	ईस्ट हॉप टाउन टी एस्टेट	उत्तराखंड	249.67
1116	मोहकाम्पुर टी एस्टेट	उत्तराखंड	32.40
1117	अरकाडिया टी एस्टेट	उत्तराखंड	332.64
1118	गुडरिच एंड उडियाबाग टी एस्टेट	उत्तराखंड	136.40
1119	बाबा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	30.36
1120	करबाला टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	755.24
1121	कैलाशपुर टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	297.54
1122	कदम्बिनी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	448.00
1123	करला वैली टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	224.30
1124	कटहलदुरा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	75.01
1125	कालाबरी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	310.36
1126	गुडवे एग्रीकल्चर (प्रा) लि0	पश्चिम बंगाल	31.98
1127	कामिनीपुर टी गार्डन	पश्चिम बंगाल	139.19
1128	मदनबारी टी एस्टेट (प्रा0) लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	41.20
1129	नंटू एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	16.09
1130	नोरबेन टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	161.36
1131	जीरोपानी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	31.17
1132	साफी एग्रो इंडस्ट्री उद्योग प्रा0 लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	29.92
1133	सेफाली टी एंड कृषि उत्पाद (प्रा0) लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	16.00
1134	पीसीएम कृषि उत्पाद प्रा0 लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	54.13
1135	सीतारामपुर परियोजना- सरसवाटिपुर टी के तहत	पश्चिम बंगाल	84.61
1136	श्रीनाथपुर टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	170.62
1137	तीतास कृषि उत्पाद प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	32.00
1138	विनायक टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	18.21
1139	धीरामोती टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	19.86
1140	सुरेशनगर प्लांटेशन (प्रा0) लि	पश्चिम बंगाल	30.36
1141	स्टेनथल टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	23.01
1142	पनबारी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	125.48
1143	पारूल टी कृषि प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	52.63
1144	पीयूष इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	21.00
1145	प्रान रंजन टी (प्रा0) लि0	पश्चिम बंगाल	21.04
1146	क्वेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	26.27
1147	रघू उत्कर्ष टी गार्डन	पश्चिम बंगाल	52.63
1148	कोहिनूर टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	487.13
1149	कोनपाकरी कृषि उद्योग प्रा0 लि	पश्चिम बंगाल	40.00
1150	कालिपुर टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	40.61

1151	डेबीपुर टी गार्डन	पश्चिम बंगाल	64.73
1152	जालपा प्लांटेशन प्रा0 लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	10.51
1153	ग्रीन पार्क टी एंड एग्रो	पश्चिम बंगाल	23.03
1154	बृजेंद्र चंद्र टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	21.05
1155	बीपलब टी गार्डन प्रा0 लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	22.75
1156	सूरोमा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	59.00
1157	बेबी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	51.39
1158	निर्मला टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	24.29
1159	आर्यमन टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	228.52
1160	जंगपाणा टी	पश्चिम बंगाल	73.60
1161	अलूबारी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	22.58
1162	सोनामाटी प्लांटेशन	पश्चिम बंगाल	81.00
1163	जोगमाया टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	107.27
1164	जोगेश चंद्र टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	463.47
1165	जतिंदर मोहन टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	51.45
1166	जोयपुर	पश्चिम बंगाल	343.69
1167	भवानी प्लांटेशन	पश्चिम बंगाल	28.00
1168	अर्जुन चंद्र	पश्चिम बंगाल	104.00
1169	भतरीशक्ति कृषि प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	14.50
1170	फटापुकुर टी की थाली	पश्चिम बंगाल	83.89
1171	ए पी एस टी प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	26.86
1172	गणपति टी प्लांटेशन	पश्चिम बंगाल	33.19
1173	कमलपुर टी	पश्चिम बंगाल	69.19
1174	कलेज वेली टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	235.56
1175	कमला टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	517.30
1176	कटालगुरि टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	499.29
1177	कार्तिक टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	337.71
1178	कलचीनी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	768.14
1179	बृंदाबन टी गार्डन	पश्चिम बंगाल	19.65
1180	दीनदयाल टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	10.28
1181	हीरालाल टी एस्टेट (प्रा0) लि	पश्चिम बंगाल	25.50
1182	जिंदल प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	36.43
1183	लांबावाला टी संयंत्र (प्रा0) लि।	पश्चिम बंगाल	24.29
1184	राईमोहन टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	130.47
1185	डोलोंग	पश्चिम बंगाल	49.39
1186	बानी एग्रो प्रा0 लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	20.89
1187	कफाग्रो प्रा0 लि0 (जमालदाह यूनिट)	पश्चिम बंगाल	29.12
1188	भोलापारा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	29.95
1189	बीके दास इंडिया प्रा0लि0	पश्चिम बंगाल	19.53
1190	एचसीएस कृषि (प्रा0) लि	पश्चिम बंगाल	12.14

1191	असीना टी एस्टेट प्रा0 लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	35.00
1192	सुकनी टी परियोजना	पश्चिम बंगाल	67.16
1193	लीश रिवर टी गर्डन	पश्चिम बंगाल	634.61
1194	कुचलीबारी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	174.92
1195	कुरती टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	418.00
1196	कुमलाई टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	403.14
1197	कुमारग्रम टी गार्डेन	पश्चिम बंगाल	659.01
1198	कुसुम टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	204.01
1199	शिकारपुर टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	16.15
1200	लिंगिया टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	141.63
1201	फुलबारी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	339.34
1202	बंशीधाम टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	108.00
1203	बमुनदंगा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	481.42
1204	शिमिंग टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	584.72
1205	योंगटोंग एस्टेट	पश्चिम बंगाल	319.87
1206	कंचन व्यू टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	90.27
1207	रंगारून	पश्चिम बंगाल	89.93
1208	किलकोट	पश्चिम बंगाल	411.60
1209	किरन चंद्र टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	268.72
1210	लखिपारा टी गर्डन	पश्चिम बंगाल	627.47
1211	लंकापारा टी गार्डेन	पश्चिम बंगाल	758.45
1212	उत्तर कालपारा टी ट्रेडर्स प्रा0 लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	12.95
1213	सरत टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	165.58
1214	लांगव्यू टी	पश्चिम बंगाल	508.29
1215	लोहागढ टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	226.36
1216	लोपचू टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	95.75
1217	लुकसन	पश्चिम बंगाल	531.94
1218	मारापुर टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	137.37
1219	मातीगारा टी	पश्चिम बंगाल	135.66
1220	मकाबरी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	248.18
1221	मतीधर टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	629.69
1222	मन्जा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	221.27
1223	मैरीबोंग टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	284.52
1224	महालदेरम टी	पश्चिम बंगाल	63.31
1225	मारगारेट्स हॉप टी गार्डन	पश्चिम बंगाल	361.00
1226	मैरिओनबारी	पश्चिम बंगाल	329.05
1227	मन्नाबररी	पश्चिम बंगाल	266.38
1228	मकरापा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	170.98
1229	मधु टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	323.08
1230	मैतेली टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	714.09

1231	मथूरा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	701.18
1232	मैनक हिल्स टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	301.55
1233	मझेरदाबरी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	382.27
1234	मलनाडी	पश्चिम बंगाल	97.69
1235	मतीकुंडा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	62.23
1236	मैत्री टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	118.25
1237	माया टी	पश्चिम बंगाल	70.50
1238	महामाया टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	59.28
1239	दागापुर टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	208.19
1240	डैम डीम टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	730.43
1241	दाहुक वैली टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	143.00
1242	दालसिंहपारा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	873.23
1243	डलगांव टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	651.57
1244	दंगुझार टी गार्डेन	पश्चिम बंगाल	693.30
1245	डालमोरे टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	552.92
1246	कोच बेहर टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	224.26
1247	कास्टलेटन टी गार्डेन	पश्चिम बंगाल	172.96
1248	कैरॉन टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	303.00
1249	सेंट्रल डूयर्स टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	818.66
1250	रेबती एगो प्रा0 लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	29.26
1251	चोंगटोंग टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	379.04
1252	चामोंग टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	139.60
1253	चालौनी टी गार्डेन	पश्चिम बंगाल	540.55
1254	चुलसा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	441.91
1255	चमूरची टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	500.22
1256	चुनियाझोरा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	205.32
1257	चौपारा	पश्चिम बंगाल	689.47
1258	चेंग्गारी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	1328.30
1259	चुनाभुट्टी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	401.80
1260	चंदन टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	282.67
1261	बिजालमोनी टी	पश्चिम बंगाल	217.91
1262	बिजोयनगर टी	पश्चिम बंगाल	288.87
1263	बीरपारा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	1004.38
1264	बिनागुरी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	602.56
1265	बिलातीबाड़ी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	44.84
1266	बुंदापानी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	529.56
1267	भोजनारायण टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	228.98
1268	भातपाड़ा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	637.97
1269	भटकावा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	634.47
1270	भगतपुर चाय एस्टेट	पश्चिम बंगाल	691.77

1271	भरनबारी चाय गार्डन	पश्चिम बंगाल	726.74
1272	भरदेश्वर टी टी प्लांटेशन (प्रा.) लि	पश्चिम बंगाल	103.98
1273	भसानी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	39.66
1274	भांडीगुडी	पश्चिम बंगाल	320.19
1275	बेलगाछी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	490.83
1276	बीच	पश्चिम बंगाल	782.38
1277	बदामतम टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	321.05
1278	बरनेस्बेग टी गार्डेन	पश्चिम बंगाल	132.00
1279	बागडोगा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	262.28
1280	बालासून एंड मुरमा	पश्चिम बंगाल	352.61
1281	बानोकबर्न टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	136.58
1282	बेंटगुरी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	657.96
1283	बाराडिगी टी.ई	पश्चिम बंगाल	601.02
1284	बाताबारी	पश्चिम बंगाल	299.56
1285	बरुआपाडा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	45.77
1286	बनारहाट टी.ई	पश्चिम बंगाल	642.57
1287	बागराकोट टी गार्डेन	पश्चिम बंगाल	485.63
1288	अज़माबाद टी.ई	पश्चिम बंगाल	131.11
1289	अरकान टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	39.20
1290	एभिल टी गार्डन	पश्चिम बंगाल	871.79
1291	आनंदापुर	पश्चिम बंगाल	402.25
1292	अटल टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	392.77
1293	अटियाबारी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	555.58
1294	अतिनपुर टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	21.66
1295	एवनग्रोव टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	184.00
1296	आर्य टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	123.26
1297	आशापूर टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	125.12
1298	एम्बियोक टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	155.85
1299	अंबुटिया टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	348.46
1300	अमरपुर टी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	72.50
1301	अम्बारी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	587.10
1302	रॉबिन एग्रो प्रोडक्ट्स (प्रा.) लि	पश्चिम बंगाल	35.42
1303	नेमरिंग	पश्चिम बंगाल	448.34
1304	नागरी	पश्चिम बंगाल	321.64
1305	नागरीफार्म टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	285.66
1306	नरबदा मझुवा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	38.79
1307	नागराकाटा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	549.78
1308	नांगडाला टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	485.00
1309	नंदन टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	25.00
1310	नागाईसुरी टी गार्डन	पश्चिम बंगाल	629.97

1311	इंडोंग टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	483.84
1312	सायोनी टी एस्टेट प्रा. लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	57.48
1313	चाँदमनी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	36.78
1314	जिति टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	580.23
1315	निहार टी गार्डन	पश्चिम बंगाल	14.50
1316	जयबीरपा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	223.92
1317	जायंटिका	पश्चिम बंगाल	589.88
1318	जगत बन्धु टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	40.89
1319	जादबपुर टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	148.91
1320	जलडक्का एलताडंगा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	170.68
1321	जानकी गोसाई टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	20.47
1322	जयंती	पश्चिम बंगाल	411.95
1323	हल्दीबारी टी गार्डन	पश्चिम बंगाल	895.04
1324	इकामोती	पश्चिम बंगाल	138.30
1325	होपे टी गार्डन	पश्चिम बंगाल	432.12
1326	रिवर भियु प्रोजेक्ट	पश्चिम बंगाल	147.00
1327	हंसक्वे टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	373.30
1328	हैप्पी वैली टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	122.82
1329	हंटपारा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	655.00
1330	बंधुनगर टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	29.14
1331	हर्बल एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा.लि.	पश्चिम बंगाल	46.94
1332	हिल्ला टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	310.00
1333	गीता देवी टी गार्डेन	पश्चिम बंगाल	63.97
1334	गोपालधरा	पश्चिम बंगाल	169.49
1335	गोमती टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	140.49
1336	गोपालपुर टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	490.72
1337	गुड होप टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	412.52
1338	गोपे टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	46.22
1339	गोलगच्च टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	473.73
1340	ग्लेनबर्न टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	285.49
1341	गंगाराम टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	811.02
1342	गुरजंझोरा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	268.81
1343	गुमा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	34.00
1344	गायाबारी एंड मिलिकथोंग टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	309.51
1345	फुलबरी पाटन टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	99.33
1346	फागु	पश्चिम बंगाल	190.15
1347	ईथेलबारी	पश्चिम बंगाल	270.71
1348	इंगो टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	109.14
1349	एलेनबारी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	245.41
1350	एडेनवाले टी गार्डन	पश्चिम बंगाल	28.34

1351	गया गंगा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	483.85
1352	गंडापारा टी की गार्डन	पश्चिम बंगाल	842.45
1353	गैरखाटा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	710.63
1354	गदरा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	22.72
1355	फुलझोरा एग्रो प्लांटेशन प्रा. लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	14.17
1356	गरगंडा टी गार्डन	पश्चिम बंगाल	528.36
1357	गिरिश चंद्र टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	71.24
1358	गिंग टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	254.11
1359	गिरली टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	250.51
1360	गीडापहाड़ टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	94.34
1361	घाटिया टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	602.89
1362	धाजिया टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	179.35
1363	धकलापाडा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	197.37
1364	धौलाझोरा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	446.73
1365	धरणीपुर टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	264.52
1366	डिलाराम टी गार्डन	पश्चिम बंगाल	196.82
1367	दीमा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	742.82
1368	डायना टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	421.55
1369	डुमचीपाड़ा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	673.79
1370	डेबपाड़ा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	536.24
1371	डेमडिमा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	737.99
1372	देबिझोरा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	307.66
1373	दुतिरिया टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	444.92
1374	बेंगाबाद टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	17.67
1375	फुगुरी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	227.28
1376	फुबसिरिंग टी स्टेट	पश्चिम बंगाल	235.77
1377	फास्कोवा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	144.95
1378	फेसोक टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	314.70
1379	विश्वमित्र इंडिया टीई प्रा. लिमिटेड (सारामति टीई प्रा. लि)	पश्चिम बंगाल	60.00
1380	पोट टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	139.47
1381	पुबोंग टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	166.82
1382	पुसिमबिंग टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	201.19
1383	पुटिनबारी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	155.67
1384	पुत्तरझोरा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	369.44
1385	पुष्पा टी एस्टेट प्रा. लि	पश्चिम बंगाल	64.37
1386	उडलाबारी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	476.07
1387	ओक्स टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	138.91
1388	ओकेटी	पश्चिम बंगाल	213.32
1389	ओआरडी टेराई टी गार्डन	पश्चिम बंगाल	475.34

1390	ऑरेंज वैली टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	189.49
1391	पहाड़गुमिया टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	694.78
1392	पांडम	पश्चिम बंगाल	131.32
1393	सुप्रिया टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	68.01
1394	पैनट्टा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	460.15
1395	पलाशबरी टी गार्डेन	पश्चिम बंगाल	357.68
1396	गौरा पार्वती टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	26.00
1397	पटकपरा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	470.65
1398	पैरागॉन टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	35.46
1399	पातागोरा टी एस्टेट (डंकन्स प्रोजेक्ट)	पश्चिम बंगाल	295.85
1400	नॉर्थ तुकवार टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	195.48
1401	नोवेरा न्यूडी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	268.74
1402	नर्बंग टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	271.22
1403	नक्सलबाड़ी	पश्चिम बंगाल	427.93
1404	नया सिलि टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	488.63
1405	मुलोतार टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	172.69
1406	मुजनेई टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	400.65
1407	निश्चिंतपुर टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	171.91
1408	निमतीझोरा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	418.76
1409	मौप्रिया प्लांटेशन प्रा. लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	17.81
1410	मोंटेवियट टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	59.91
1411	मोहन मझुवा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	52.20
1412	मूंडकोटि टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	298.78
1413	मोहरगोंग एंड गुल्मा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	721.30
1414	मोराघाट टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	511.78
1415	मोहुआ टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	65.50
1416	मोगुलकाटा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	408.39
1417	मिशन हिल टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	244.16
1418	एमआईएम	पश्चिम बंगाल	187.65
1419	मेरीभ्यू टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	393.26
1420	मेरिका टी एस्टेट (चिनछुला टी एस्टेट)	पश्चिम बंगाल	627.46
1421	मिनग्लास टी गार्डेन	पश्चिम बंगाल	629.77
1422	मैकेरा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	516.00
1423	नई छूमटा टी गार्डन	पश्चिम बंगाल	265.95
1424	नेदाम टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	255.72
1425	न्यूलैंड्स टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	644.57
1426	नेपुछापुर टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	343.66
1427	न्यू ग्लेनकोय टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	349.78
1428	नेपाटी वैली टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	35.61
1429	न्यू दुआर्स टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	792.35

1430	राजाभट टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	352.66
1431	रायमतंग टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	540.12
1432	रानीछेड़ा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	787.14
1433	साहू वैली टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	37.70
1434	रामझोड़ा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	452.75
1435	रहिमपुर टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	146.07
1436	रायपुर टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	239.83
1437	राजा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	400.95
1438	रहिमाबाद टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	339.58
1439	राधारानी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	149.25
1440	रहमान एग्रो प्लांटेशन प्रा. लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	34.39
1441	रमाबोती टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	161.94
1442	रंगोमूक /सेदार्स टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	460.71
1443	रंगलि रंगलिओट टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	183.97
1444	राखालदेवी टी कं प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	16.80
1445	रमणी टी एंड कृषि प्लांटेशन	पश्चिम बंगाल	21.00
1446	रामसहाई टी एस्टेट प्रा. लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	28.89
1447	बालाबारी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	14.00
1448	बर्लिया ग्रीन प्रोडयूस प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	10.13
1449	सीतारामपुर प्रोजेक्ट-अण्डर भांडीगुडी टी.ई	पश्चिम बंगाल	51.34
1450	रिंगथोंग टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	338.12
1451	ऋषिहाट टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	256.45
1452	राइटेक्स ट्रेडिंग (प्रा.) लि	पश्चिम बंगाल	28.95
1453	ऋद्धि सिद्धि टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	68.68
1454	रेडबैंक	पश्चिम बंगाल	368.53
1455	रियाबारी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	374.62
1456	प्रकाश चंद्र टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	9.53
1457	प्रोवा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	23.00
1458	सईदाबाद टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	370.40
1459	सतीश चंद्र टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	102.10
1460	सामाबेयोंग टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	132.45
1461	सचिन्द्र चंद्र टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	224.02
1462	सन्यासिस्थान	पश्चिम बंगाल	128.81
1463	सरस्वतीपुर टी एंड इंडस्ट्रीज लि	पश्चिम बंगाल	326.40
1464	संकोस टी गार्डेन	पश्चिम बंगाल	703.94
1465	सरूगाव टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	228.37
1466	सतली टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	894.15
1467	जे सी टी	पश्चिम बंगाल	12.55
1468	जटिलेश्वर टी गार्डन	पश्चिम बंगाल	40.00
1469	रोहिणी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	150.00

1470	रंगमुट्टी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	775.22
1471	रंगोटी टी गार्डन	पश्चिम बंगाल	23.55
1472	राईदक टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	877.15
1473	सोम टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	237.28
1474	श्री दुर्गा प्लांटेशन	पश्चिम बंगाल	52.86
1475	श्री भेरूजी एग्रो (प्रा.) लि	पश्चिम बंगाल	53.00
1476	सेलिम हिल	पश्चिम बंगाल	176.51
1477	शिपोएधोरा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	138.86
1478	शेयोक टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	157.52
1479	शेलिमबोंग टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	153.35
1480	केपी योजना	पश्चिम बंगाल	28.36
1481	तिनबीघा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	159.36
1482	तिनधरिया टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	159.91
1483	तिरीहना टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	337.77
1484	हरिनगर टी एस्टेट (रूचि एग्रो)	पश्चिम बंगाल	28.00
1485	हरियापारा प्रोजेक्ट	पश्चिम बंगाल	19.50
1486	फूलझोरा इण्टरप्रोईजेज	पश्चिम बंगाल	18.43
1487	लक्ष्मीकांत टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	52.51
1488	ग्रीन कार्ड डेपलपर्स प्रा. लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	44.00
1489	जी एस एग्रो इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	25.30
1490	कुमारिका टी प्रोजेक्ट	पश्चिम बंगाल	237.60
1491	बनियाबारी टी प्लांटेशन	पश्चिम बंगाल	19.54
1492	भांडिरबारी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	38.46
1493	नानी गोपाल टी एस्टेट प्रा.लि.	पश्चिम बंगाल	16.19
1494	सोनामोती	पश्चिम बंगाल	13.33
1495	निलाजी टी एस्टेट (एम.आर.टी.प्लांटेशन प्रा.लि.)	पश्चिम बंगाल	48.00
1496	विमल वैली	पश्चिम बंगाल	15.82
1497	के.एफ एग्रो प्रा.लि.(भोतबारी यूनिट)	पश्चिम बंगाल	29.02
1498	फन प्रोडक्ट्स (प्रा.) लि	पश्चिम बंगाल	12.26
1499	विजाबारी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	16.19
1500	फापरी प्लांटेशन कं.	पश्चिम बंगाल	36.00
1501	सुबर्नपुर टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	135.00
1502	रंगधमालि टी गार्डन	पश्चिम बंगाल	17.00
1503	भद्रकाली टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	169.60
1504	थानझोरा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	356.09
1505	थुर्बो टी गार्डन	पश्चिम बंगाल	488.44
1506	ताईपो	पश्चिम बंगाल	298.67
1507	एयरान प्लांटेशन (प्रा.) लि	पश्चिम बंगाल	72.87
1508	तिस्ता वेली टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	297.47
1509	तेलेपारा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	646.33

1510	अरिहंत टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	79.52
1511	बाबा लोकनाथ टी गार्डेन	पश्चिम बंगाल	13.36
1512	डायनामिक टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	29.00
1513	सुभद्रा एग्रो प्लांटेशन	पश्चिम बंगाल	12.14
1514	तासाती टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	451.87
1515	देबराहबाबा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	52.63
1516	टी.एन.चौधरी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	163.00
1517	सिली टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	572.79
1518	ताल्मा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	117.50
1519	सिंघियाझोरा टी ई	पश्चिम बंगाल	129.06
1520	सुरिनी	पश्चिम बंगाल	95.55
1521	सुनगाछी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	639.42
1522	सोनाली टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	206.20
1523	सोनार बंगला टी कं. (प्रा.) लि	पश्चिम बंगाल	44.13
1524	सोलोदिघी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	39.67
1525	स्प्रिंग्स टी गार्डेन	पश्चिम बंगाल	146.02
1526	भोवाल कृषि प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	23.00
1527	अल्ट्रा ग्रीन एग्रो प्रा. लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	12.00
1528	बंसत एग्रीको प्लांटेशन प्रा. लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	60.00
1529	ज़ुरानटी टी गार्डेन	पश्चिम बंगाल	510.18
1530	सिंघानिया टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	244.55
1531	कुमारी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	313.62
1532	सुकना टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	288.10
1533	सुंगमा एंड तुरजुम टीई	पश्चिम बंगाल	281.95
1534	सुभासिनी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	371.84
1535	सुरेंद्रनगर	पश्चिम बंगाल	172.16
1536	गरलबारी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	48.19
1537	ग्रासमोर टी गार्डेन	पश्चिम बंगाल	545.08
1538	चौलिबारी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	151.00
1539	दीपचंद यश प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	73.00
1540	एनबी कृषि उद्योग प्रा. लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	31.98
1541	ब्रम्हपुर टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	44.91
1542	ओरिएंट टी	पश्चिम बंगाल	18.43
1543	थमसंग टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	113.87
1544	तुकदाह टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	261.71
1545	पुट्टाबंग (तुकवार) टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	436.72
1546	तुरतुरी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	294.48
1547	लाबन्यपुर टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	29.19
1548	तुलसीपारा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	477.51
1549	तुलसीविटा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	34.00

1550	तूरसा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	482.30
1551	तूनबारी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	154.34
1552	दत्ता एग्रो प्लांटेशंस प्रा. लि. ए/सी. छवहाफाली टी.ई	पश्चिम बंगाल	50.00
1553	निरुपमा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	27.53
1554	मारुती टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	144.90
1555	तोतापाड़ा टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	378.13
1556	त्रिशक्ति टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	56.68
1557	अपर फागु टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	130.75
1558	सिवितार टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	148.92
1559	सिमुलबारी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	353.36
1560	सिंगबुली टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	320.19
1561	सिंगतोंम टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	240.09
1562	सिंघल टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	242.52
1563	श्री द्वारिका टी.ई	पश्चिम बंगाल	184.84
1564	शक्तिमान टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	89.06
1565	श्यामल बाग़ टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	28.12
1566	सिकारपुर एंड भंडारपुर टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	612.02
1567	वासाबाड़ी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	450.80
1568	मझग्राम टी प्रोजेक्ट	पश्चिम बंगाल	16.81
1569	मन्दाधरी टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	51.16

स्रोतः टी बोर्ड

****

अनुबंध-II

विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय (करोड़) (30.09.2020 तक डेटा)						
विकास क्षेत्र	वित्तीय वर्ष **2014-15 में** खर्च राशि (करोड़ रुपये में)	वित्तीय वर्ष **2015-16 में** खर्च राशि (करोड़ रुपये में)	वित्तीय वर्ष **2016-17 में** खर्च राशि (करोड़ रुपये में)	वित्तीय वर्ष **2017-18 में** खर्च राशि (करोड़ रुपये में)	वित्तीय वर्ष **2018-19 में** खर्च राशि (करोड़ रुपये में)	वित्तीय वर्ष **2019-20 में** खर्च राशि (करोड़ रुपये में)
कृषि वानिकी	18.12	57.85	43.45	12.18	64.59	2.84
पशु कल्याण	17.29	66.67	78.70	59.13	96.26	19.23
सशस्त्र बलों, वेटरन्स, वेयर, विधवाओं/आश्रितों	4.76	11.14	37.86	27.72	89.20	9.93
कला और संस्कृति	117.37	119.17	305.57	287.06	189.89	48.08
स्वच्छ गंगा निधि	5.47	32.82	24.37	4.54	5.41	0.40
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	44.60	49.85	119.09	214.21	63.16	10.56
शिक्षा	2589.42	4057.45	4504.87	4734.56	5718.11	2626.91
पर्यावरणीय स्थिरता	773.99	796.69	1076.46	1083.05	1292.63	504.71
लैंगिक समानता	55.21	73.85	72.6	20.49	50.96	11.44
स्वास्थ्य देखभाल	1847.74	2569.43	2491.10	2210.77	3216.41	1048.74
आजीविका संवर्धन परियोजनाएँ	280.17	393.38	515.47	709.01	848.86	514.80
केंद्र सरकार के अन्य फंड	277.10	334.35	419.99	255.63	710.59	402.51
गरीबी, भूख उन्मूलन कुपोषण	274.70	1252.08	606.55	654.80	1090.27	412.50
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	228.18	218.04	158.80	175.84	300.13	164.68
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	1059.35	1376.16	1554.78	1479.80	2308.83	971.44
स्वच्छ पेयजल	103.95	180.16	147.79	180.35	212.01	86.42

स्वच्छता	299.54	631.80	421.71	293.15	440.55	263.62
वरिष्ठ नागरिक कल्याण	8.94	21.87	27.75	33.07	38.40	7.94
महिलाओं के लिए घर और छात्रावास की स्थापना	8.74	29.28	61.97	69.23	53.01	19.70
अनाथालय की स्थापना	5.12	16.90	16.80	37.05	11.43	21.31
स्लम एरिया डेवलपमेंट	101.14	14.10	51.49	35.11	50.24	1.29
सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ	39.04	77.97	148.01	137.50	164.27	74.43
विशेष शिक्षा	41.43	128.84	165.33	124.84	173.89	42.73
स्वच्छ भारत कोष	113.86	325.52	184.06	213.68	93.81	6.16
प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर्स	4.74	26.34	23.09	15.62	30.51	6.10
खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	57.62	140.12	180.33	227.75	295.1	98.97
व्यावसायिक कौशल	277.07	344.40	373.46	391.76	758.95	397.89
महिला सशक्तिकरण	72.87	122.79	141.62	203.90	199.81	41.67
एनईसी/उल्लिखित नहीं	1338.40	1051.16	388.96	1.04	87.54	5.51
कुल योग (करोड़ में)	**10,065.93**	**14,517.21**	**14,342.04**	**13,889.86**	**18,654.82**	**7,822.50**

स्रोत: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3646

<u>दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

रबर अधिनियम

3646. श्री थोमस चाज़िकाडन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबर अधिनियम, 1947 में संशोधन करने/उसे निरस्त करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रबर अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में रबर बोर्ड, रबर के पौधे उगाने वालों के प्रतिनिधियों, रबर उद्योगों के प्रतिनिधियों और अन्य इच्छुक दलों का मत प्राप्त किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान रबर बोर्ड को नए पौधरोपण, पुन: पौधरोपण आदि के लिए दी जाने वाली विभिन्न राजसहायता के बजट के आवंटन में कमी करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि रबर की खेती करने वालों को उपर्युक्त कारकों के संबंध में बहुत चिंता है और यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी शिकायतों के निवारण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) : रबर अधिनियम, 1947 को निरस्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, रबर अधिनियम 1947 के प्रावधानों को वर्तमान वास्तविकताओं के अनुरूप लाने के लिए रबर बोर्ड ने संपूर्ण भारत में अधिनियम की प्रयोजनीयता, रबर उपकर का जीएसटी में सन्निवेशन हो जाने के कारण उससे संबंधित धारा को निरस्त करने जैसे मुद्दों पर रबर अधिनियम 1947 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं।

(ग) : दिनांक 05.11.2019 को रबर बोर्ड की 179वीं बैठक में इन संशोधनों पर चर्चा की गई और उनकी सिफारिश की गई थी जिसमें रबर क्षेत्र से हितधारक संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष आमंत्रितगणों द्वारा भी प्रतिभागिता की गई थी।

(घ) और (ड.) : वर्ष 2020-21 के लिए रबर बोर्ड को बीई के अंतर्गत 221.34 करोड़ रुपये का और आरई चरण पर 187.69 करोड़ रुपये का बजट आबंटन किया गया है। वर्ष 2021-22 के लिए रबर बोर्ड को 190 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य बातों के साथ-साथ, सब्सिडी दर को यथावत रखते हुए इस सेक्टर के लाभ के लिए मध्यावधि फ्रेमवर्क स्कीम (2017-18 से 2019-20) को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3651**
वाणिज्य विभाग

<u>दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात

3651. श्री भोलानाथ 'बी.पी.सरोज' :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात से संबंधित नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित देश से निर्यातित जैविक कृषि उत्पादों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वर्तमान में जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए किसानों को दी जाने वाली नई रियायतें क्या हैं?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) : सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश से जैविक उत्पादों के निर्यात का विनियमन और संवर्धन करने के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) आरंभ किया है। एनपीओपी के तहत जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) द्वारा प्रत्यायित प्रमाणन निकाय द्वारा जारी ''जैविक उत्पाद'' के रूप में निर्यात हेतु एक संव्यवहार प्रमाण-पत्र अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, केवल उन्हीं उत्पादों को निर्यात के लिए ''जैविक उत्पादों'' के रूप में प्रमाणित किया जाता है, जिन्हें एनपीओपी में उल्लिखित मानकों के अनुसार उत्पादित, प्रसंस्कृत और पैक किया गया हो।

(ख) : देश से निर्यातित जैविक उत्पादों का राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। इसका जिले-वार डेटा नहीं रखा जाता है।

(ग) : जैविक उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) एक स्वायत्त संगठन है, जिसे जैविक उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए अधिदेशित किया गया है। एपीडा अपनी निर्यात संवर्धन स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत जैविक उत्पादों के निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है। एपीडा जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां करता है : जैसे एनपीओपी के अंतर्गत नए उत्पादों को शामिल करना; आयातक देशों द्वारा एनपीओपी मानकों को मान्यता प्राप्त कराने के लिए प्रयास करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी करके 'इंडिया ऑर्गेनिक-ब्रांड को बढ़ावा देना, क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) का आयोजन करना, क्षमता निर्माण और आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करना इत्यादि।

*****

अनुबंध-I

वर्ष 2019-20 के दौरान/संघ शासित प्रदेश-वार निर्यात			
क्र.सं.	राज्य	निर्यातित मात्रा (एमटी में)	कुल मूल्य (लाख रुपये में)
1	मध्य प्रदेश	351814.26	167020.14
2	गुजरात	58386.91	50917.23
3	महाराष्ट्र	73176.54	47143.70
4	केरल	8110.51	31034.39
5	कर्नाटक	21763.22	28551.11
6	पश्चिम बंगाल	4477.03	27081.61
7	हरियाणा	31062.88	26542.21
8	नई दिल्ली	20688.73	19173.48
9	दमन एवं द्वीव	36230.27	17272.18
10	तेलंगाना	5430.29	11289.21
11	राजस्थान	14518.12	10713.00
12	उत्तर प्रदेश	5281.88	10071.45
13	आंध्र प्रदेश	2340.43	8121.61
14	तमिलनाडु	3736.20	7960.06
15	गोवा	323.08	2001.76
16	जम्मू एवं कश्मीर	816.66	1445.10
17	उत्तराखंड	250.15	725.34
18	असम	286.52	698.72
19	छत्तीसगढ़	19.31	482.44
20	पंजाब	274.70	268.71
21	हिमाचल प्रदेश	10.07	56.57
22	मेघालय	0.57	17.05
23	सिक्किम	0.10	3.74
कुल		**638998.40**	**468590.81**

स्रोत: ट्रेसनेट में प्रमाणन निकायों द्वारा प्रस्तुत डेटा

*****

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3658**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

एकीकृत संभार योजना

3658. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संभार लागत इसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग चौदह प्रतिशत है जबकि दूसरी ओर, विकसित देशों में यह केवल सात से आठ प्रतिशत ही है, यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार वस्तुओं की त्वरित आवाजाही और व्यापार के लेनदेन की लागत में कटौती करने हेतु एकीकृत संभार योजना तैयार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एकीकृत संभार योजना सभी क्षेत्रों, रेल, सड़क, समुद्री और वायु मार्गों को एकीकृत करेगी और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अमेरिका और चीन जैसे देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक तनावों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा उत्पन्न हो रही थी, जिससे भारतीय संभार भागीदारी के लिए वृहत् अवसर पैदा हो रहे हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) : भारत में लॉजिस्टिक्स लागत के लिए कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। तथापि, आर्मस्ट्रांग एंड एसोसिएट इंक, एक प्राइवेट फर्म, ने अपने अध्ययन में यह अनुमान लगाया है कि भारत में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी का 13 प्रतिशत है, जो अधिकतर विकसित देशों में देखी गई लागत (10 प्रतिशत से कम) से अधिक है।

(ख) और (ग) : लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने के लिए सरकार ने रेल यातायात, सड़क यातायात, अंतरदेशीय जलमार्ग, तटीय जहाजरानी को शामिल करते हुए अनेक नीतिगत पहलें की हैं और विनियामक प्रक्रियाओं को सुगम्य बनाया है। लॉजिस्टिक्स के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए वाणिज्य विभाग में सरकार के विभिन्न लॉजिस्टिक्स में पहलों के समन्वय के लिए एक अलग प्रभाग बनाया गया है। मसौदा लॉजिस्टिक्स नीति अवसंरचनात्मक नियोजन में विभिन्न मंत्रालयों के प्रयासों को एकीकृत करने और इसके ''इष्टतम उपयोग'' के लिए आईटी सक्षम भू-स्थानिक दृष्टिकोण की परिकल्पना है।

(घ) और (ड.) : वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जटिल, गतिशील एवं अनेक कारकों पर निर्भर करती है। भारत सरकार का यह सतत प्रयास है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने के अवसर का लाभ उठाया जाए और इस संबंध में सभी व्यापारिक साझेदारों के साथ बहुत निकटता से जुड़ा है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3659

दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

निर्यात संवर्धन

3659. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के तटीय क्षेत्रों में निर्यात के बुनियादी ढांचे के संवर्धन के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या माल निर्यात करने से संबंधित प्रक्रियात्मक पहलू उत्कृष्ट वैश्विक परिपाटियों और वैश्विक स्तर पर लगने वाले समय के अनुरूप है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या निर्यात करने के प्रक्रियात्मक पहलुओं के संबंध में समय को कम करने की कोई योजना है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) : देश के तटीय क्षेत्रों सहित अवसंरचना के विकास के लिए भारत सरकार की अनेक क्षेत्र विशिष्ट स्कीमें हैं। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम सागरमाला प्रोग्राम निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करता है :-

- **क.** **पत्तन आधुनिकीकरण एवं नवीन पत्तन विकास** : मौजूदा पत्तनों की बाधाओं को दूर करना और उनकी क्षमता का विस्तार करना तथा नए ग्रीनफील्ड पत्तन का विकास करना।
- **ख.** **पत्तन से कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी** : भीतरी प्रदेश तक पत्तन की कनेक्टिविटी में बढ़ोत्तरी करना, घरेलू जलमार्ग (अंतरदेशीय जल यातायात और तटीय जहाजरानी) सहित बहुविध लॉजिस्टिक्स समाधानों के माध्यम से कार्गो आवाजाही की लागत और समय को इष्टतम बनाना।
- **ग.** **पत्तन संबद्ध औद्योगिकीकरण** : एक्जिम और घरेलू कार्गो के समय लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने के लिए पत्तन के समीप औद्योगिक समूहों और तटीय आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना।
- **घ.** **तटीय समुदाय विकास** : कौशल विकास और आजीविका सृजन गतिविधियों, मात्स्यिकी विकास, तटीय पर्यटन इत्यादि के माध्यम से तटीय समुदायों के संधारणीय विकास को बढ़ावा देना।

प्रमुख पत्तनों का अवसंरचनात्मक विकास और क्षमता में वृद्धि करना एक सतत प्रक्रिया है। इसमें नई बर्थों और टर्मिनलों का निर्माण, मौजूदा बर्थों तथा टर्मिनलों का यंत्रीकरण, बड़े जहाजों की आवाजाही के लिए ड्राफ्टों को गहन करने हेतु पूंजी निष्कर्षण करना, सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी का विकास इत्यादि शामिल है। इसके

परिणामस्वरूप, दिनांक 31.03.2020 तक प्रमुख पत्तनों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता 1534.91 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) तक बढ़ गई है। यह एक्जिम के वर्तमान स्तर और तटीय कार्गो तथा निकट भविष्य की बढ़ी आवश्यकताओं का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त है।

रेल मंत्रालय ने सहभागी नीति के तहत अनेक पत्तन कनेक्टिविटी परियोजनाएं भी चलाई हैं जिनका उद्देश्य पत्तन रेल कनेक्टिविटी का सुदृढ़ीकरण करना एवं निर्बाध आवाजाही को सुकर बनाना है।

सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतमाला परियोजना चरण-1 के एक भाग के रूप में सीमा/तटीय क्षेत्रों में सड़कों को निर्माण कार्य शुरू किया है। भारतमाला परियोजना चरण-1 के अंतर्गत 2,000 किलोमीटर के सीमा और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी रोड के लक्ष्य में से 977 किलोमीटर लंबाई का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एमएचएआई) द्वारा सौंपा गया है, इस लक्ष्य में से 849 किलोमीटर लंबाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। 2,000 किलोमीटर के तटीय और पत्तन कनेक्टिविटी रोड को पूरा करने के लक्ष्य में से सौंपे गए 168 किलोमीटर लंबाई में से 14 किलोमीटर को पूरा कर लिया गया है।

(ग),(घ) और (ड.): विश्व बैंक द्वारा व्यवसाय करने की सुविधा (ईओडीबी) 2020 के अनुसार (www.doingbusinessreport.org पर उपलब्ध) वर्ष 2020 में सीमा पार व्यापार में भारत की नवीनतम श्रेणी 68 थी, जो 2019 में 80 थी और 2018 में यह 146 थी, जो एक सतत सुधार दर्शाती है।

एक्जिम व्यापार को सुगम बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जैसे गेट-इन-विंडों टाइम में कमी करना, पत्तन गेट पर आरएफआईडी की संस्थापना, मैनुअल फार्मों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक फार्मों का पुन:स्थापन, प्रत्यक्ष पत्तन प्रवेश (डीपीई) और प्रत्यक्ष पत्तन सुपुर्दगी (डीपीडी) का कार्यान्वयन इत्यादि। सामान्य अंतरफलक के माध्यम से भारतीय पत्तनों के लिए केंद्रीकृत हब के रूप में सूचना और कार्यों के इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह को एकीकृत करने के लिए पत्तन समुदाय सिस्टम (पीसीएस 1x) का कार्यान्वयन किया गया है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 3662

<u>दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

राज्य विशिष्ट उत्पाद

3662 श्री रमेश चन्द्र कौशिकः

श्री दिलीप शइकीयाः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हरियाणा सहित सभी राज्यों की विशिष्टताओं को ध्यान मे रखते हुए केन्द्र सरकार का संबंधित राज्यों द्वारा उत्पादित विशिष्ट उत्पादों के निर्यात के लिए किसी विशेष संवर्धन योजना को लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (हरियाणा सहित) में निर्यात हब के रुप में जिला पहल के भाग के रुप में उन वस्तुओं एवं सेवाओं जिनका वर्तमान में निर्यात किया जा रहा है और जिनमें निर्यात की संभावना है, को चिन्हित करने हेतु जिला निर्यात संवर्धन समितियों के संस्थागत तंत्र के माध्यम से कार्य किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अलग–अलग जिला निर्यात कार्य योजना को तैयार करने का कार्य भी शुरु कर दिया गया है।

*****